अध्याय-IV
वन विभाग

4.1 परिचय

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसका उत्तर-पश्चिमी भाग रेगिस्तान या अर्द्ध-रेगिस्तान है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 9.62 प्रतिशत अर्थात 32,921 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है। इस 32,921 वर्ग किलोमीटर वन भूमि में 13,350 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र शामिल है जिसमें तीन राष्ट्रीय उद्यान, तीन बाघ अभयारण्य, 27 अभयारण्य और 14 संरक्षण रिजर्व शामिल हैं।

राजस्थान सरकार का वन विभाग राज्य के वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा और सतत प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने की देखरेख करता है, साथ ही वन और वन्यजीव कानूनों को लागू करता है। प्रशासनिक रूप से, विभाग का नेतृत्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) करते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) और जिला स्तर पर उप वन संरक्षक (डीसीएफ) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह विभाग राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का प्रबंधन भी करता है तथा राजस्थान की समृद्ध पारिस्थितिक धरोहर के संरक्षण में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन जैसे समुदाय-आधारित कार्यक्रमों को लागू करता है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2022-23 के दौरान वन विभाग के चयनित कार्यालयों की लेखापरीक्षा में पाई गई आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान वन विभाग के अंतर्गत कुल 119 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं, जिनमें से 21 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई।

तालिका 4.1: वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा के ध्यान में आई अनियमितताओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विषय	मामलों की संख्या
1.	मापन पुस्तिका के संधारण में कमी एवं मापन पुस्तिकाओं में काट-छांट एवं अधिलेखन	4
2.	श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करना	37
3.	दैनिक कार्य पंजिकाओं के संधारण का अभाव	8
4.	परिसमाप्त क्षतियों की वसूली का अभाव	9
5.	आयकर कटौती का अभाव	4
6.	अनियमित व्यय/अतिरिक्त व्यय/अधिक व्यय/दोहरा भुगतान/अधिक भुगतान/ व्यर्थ व्यय	78
7.	प्रशासनिक/ वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति का अभाव एवं अन्य अनियमितताएं	24
8.	आवंटित बजट के उपयोग का अभाव/निधियों का अवरुद्ध होना/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने का अभाव	10

क्र.सं.	विषय	मामलों की संख्या
9.	गुणवत्ता निरीक्षण/परीक्षण का अभाव	12
10.	अप्रचलित वस्तुओं के निपटान का अभाव	4
11.	विविध अनियमितताएं	80
12.	आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव	9
13.	लेखापरीक्षा हेतु अभिलेखों की प्रस्तुति का अभाव	4
योग		**283**

स्रोतः विभाग को जारी निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर संकलित।

4.3 'राजस्थान में बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन' पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा

4.3.1 परिचय

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 राज्य सरकार को पर्याप्त पारिस्थितिकी, जीव-जंतु, पुष्प, प्राकृतिक या प्राणिविज्ञान संबंधी महत्व वाले किसी भी क्षेत्र को संरक्षण अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभयारण्य घोषित करने का अधिकार देता है, ताकि वन्यजीवों या उनके पर्यावरण की रक्षा, प्रसार और विकास किया जा सके। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण[1] (एनटीसीए) की उचित संस्तुति के अनुसार बाघों की पर्याप्त उपस्थिति वाले वन क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित करने पर विचार किया जाता है।

राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 9.62 प्रतिशत यानी 32,921 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है। इस 32,921 वर्ग किलोमीटर वन भूमि में 13,350 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र शामिल है, जिसमें तीन राष्ट्रीय उद्यान, तीन बाघ अभयारण्य, 27 अभयारण्य और 14 संरक्षण अभयारण्य शामिल हैं। राज्य का वन मानचित्र नीचे **चित्र 4.1** में प्रस्तुत किया गया हैः

[1] यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय, जिसकी व्यापक पर्यवेक्षी/समन्वयकारी भूमिका है, तथा जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है।

चित्र 4.1: राजस्थान का वन मानचित्र

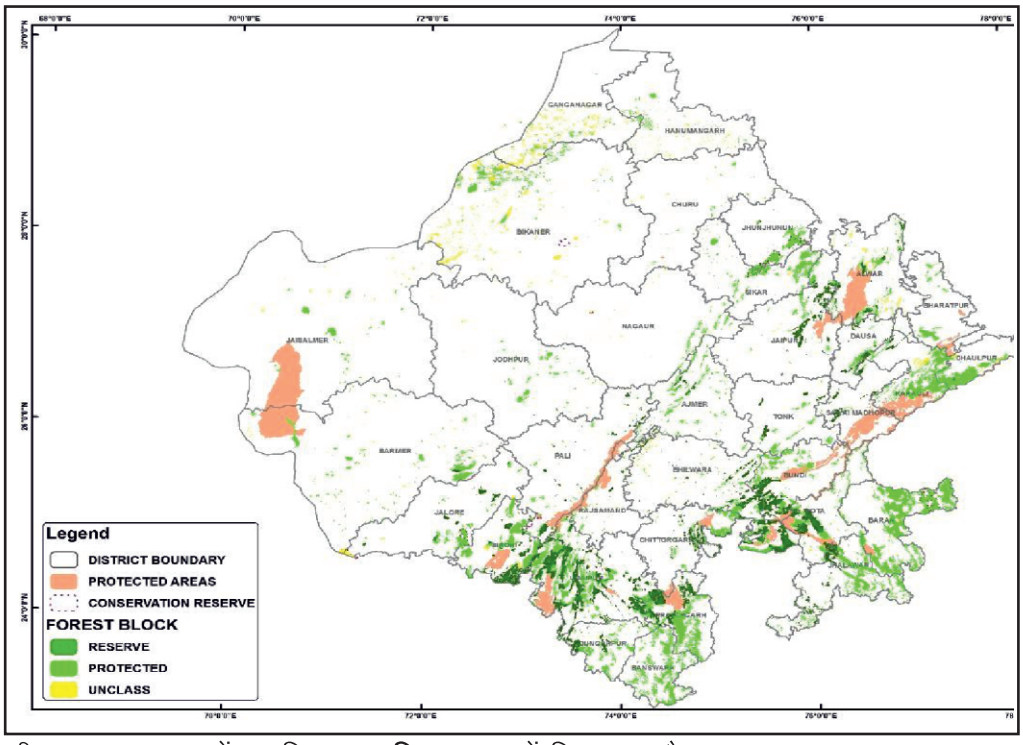

तीन बाघ अभयारण्यों का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2: बाघ अभयारण्यों का विवरण

क्र.सं.	बाघ अभयारण्यों के नाम	कवर किये गये जिले	अधिसूचना की तिथि/वर्ष		क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
			मुख्य क्षेत्र	बफर क्षेत्र	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रणथंभौर बाघ अभयारण्य (आरटीआर)	बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक	28 दिसंबर 2007	06 जुलाई 2012	1,113.36
2	सरिस्का बाघ अभयारण्य (एसटीआर)[2]	अलवर	28 दिसंबर 2007	06 जुलाई 2012	881.11
3	मुकंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य (एमएचटीआर)	बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा	09 अप्रैल 2013	09 अप्रैल 2013	417.17

स्रोतः वन विभाग

आरटीआर को दो वन प्रभागों में विभाजित किया गया है, अर्थात सवाई माधोपुर में आरटीआर-I एवं करौली में आरटीआर-II । उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार ने (मई 2022 और अक्टूबर 2023) दो नए बाघ अभयारण्य अर्थात रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य (1501.89 वर्ग किलोमीटर) एवं धौलपुर-करौली बाघ अभयारण्य (599.64 वर्ग किलोमीटर) अधिसूचित किए हैं। बाघ अभयारण्य क्षेत्र में मुख्य, बफर और कॉरीडोर क्षेत्र शामिल हैं, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

बाघ अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र	बफर क्षेत्र	कॉरिडोर
• मानव संपर्क से पृथक संरक्षित स्थान; • बाघ संरक्षण के लिए इसे अक्षुण्ण रखना आवश्यक है।	• मुख्य क्षेत्र से परिधीय क्षेत्र; • प्राकृतिकवास, संरक्षण की कम आवश्यकता है; • लघु वानिकी कार्य और अन्य	• बाघों के प्राकृतिकवासों को जोड़ने वाला भूमि विस्तार; • बाघों, शिकार और अन्य वन्यजीवों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने

[2] सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

बाघ अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र	बफर क्षेत्र	कॉरिडोर
	अधिकार और रियायतें विनियमित तरीके से अनुमत है।	की अनुमति देना।

4.3.2 संगठनात्मक संरचना

वन एवं पर्यावरण विभाग का नेतृत्व सरकार स्तर पर प्रधान सचिव करते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) विभाग के कार्यकारी प्रमुख हैं। वन्यजीव प्रभाग का नेतृत्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) करते हैं, जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) के रूप में भी कार्य करते हैं। मुख्यालय स्तर पर मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) तथा क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक (सीसीएफ एवं एफडी) तथा उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक (डीसीएफ एवं डीएफडी) उनकी सहायता करते हैं। विभाग की संगठनात्मक संरचना नीचे **चार्ट 4.1** में प्रस्तुत की गई है:

चार्ट 4.1: वन विभाग का संगठनात्मक चार्ट

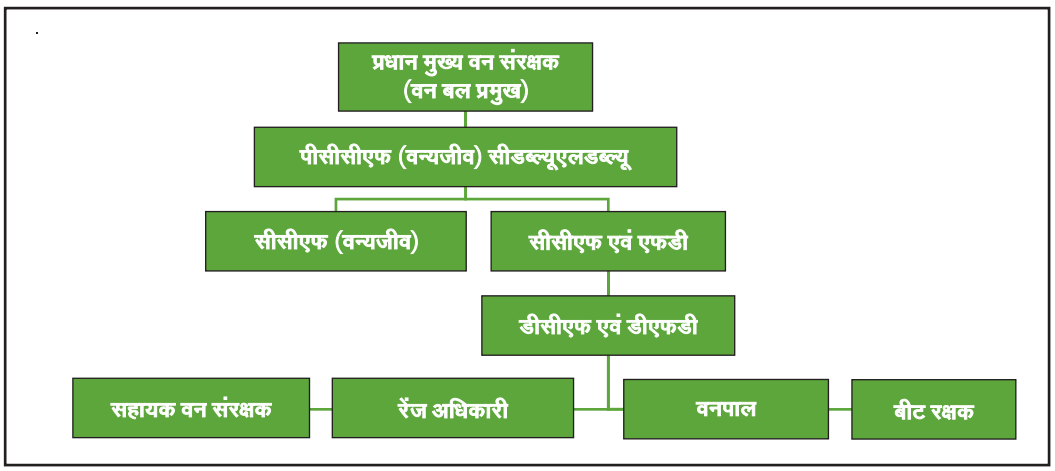

4.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि:

- बाघ अभयारण्य और वन्यजीव प्राकृतिक आवास का प्रबंधन प्रभावी रूप से किया गया है; एवं
- गांवों के विस्थापन और पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए।

4.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

इस लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया गया:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972;
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980;
- राजस्थान वन अधिनियम, 1953;

- राजस्थान राज्य वन नीति, 2010;
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (एनडब्ल्यूएपी) 2002-2016 और 2017-2031;
- प्रबंधन योजनाएं तथा बाघ संरक्षण योजनाएं (टीसीपी); एवं
- विभाग, राज्य सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और एनटीसीए द्वारा जारी दिशानिर्देश, आदेश, परिपत्र, नियमावली एवं निर्देश।

4.3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

'राजस्थान में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन' पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के कार्यालय और आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के सीसीएफ एवं एफडी और डीसीएफ एवं डीएफडी के क्षेत्र स्तरीय कार्यालयों में रखे गए अभिलेखों की जांच की गई। 2016-17 से 2020-21[3] तक पांच वर्षों की अवधि को समाविष्ट करने वाली लेखापरीक्षा जुलाई 2021 से जनवरी 2022 के बीच आयोजित की गई थी। प्रतिवेदित किए गए मुद्दों की स्थिति को 2022-23[4] तक अद्यतन (अक्टूबर 2024) किया गया था।

विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और कार्यक्षेत्र पर 02 अगस्त 2021 को आयोजित परिचयात्मक बैठक में प्रमुख सचिव (वन एवं पर्यावरण विभाग) और वन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। 30 सितंबर 2022 को समापन बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सभी लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार का उत्तर नवंबर 2022 और दिसंबर 2024 में प्राप्त हुआ, जिसे संबंधित अनुच्छेदों में यथोचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

4.3.6 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का दायरा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा 'रणथंभौर एवं सरिस्का बाघ अभयारण्यों के महत्वपूर्ण बाघ आवासों में बसे गांवों का पुनर्वास' पर एक विषयगत लेखापरीक्षा की गई थी, जिसे वर्ष 2015 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 में शामिल किया गया था। जन लेखा समिति (पीएसी) ने जनवरी 2017 में प्रतिवेदन पर चर्चा की थी और अनुशंसा की थी कि

---

[3] पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना, आरटीआर और एसटीआर में बाघ संरक्षण योजनाओं की मंजूरी, आरटीआर में कॉरीडोर का विकास, आरटीआर और एसटीआर से गांवों का विस्थापन, एसटीआर में मानवजनित गतिविधियों को विनियमित करना, सीमा का सीमांकन और विभाग के नाम पर भूमि का अमलदरामद, अतिक्रमण, खनन गतिविधि, जंगल की आग, मवेशी चराई आदि से संबंधित मुद्दे पूर्व में 'राजस्थान में वन और वन्यजीवों के संरक्षण' पर वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में समाविष्ट किए गए थे (वर्ष 2019 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5)। वर्तमान विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा में अन्य मुद्दों के अलावा आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर पर विशेष जोर देने के साथ उपरोक्त मुद्दों की स्थिति को समाविष्ट किया गया है।

[4] जहां डेटा उपलब्ध था, वहां स्थिति को 2023-24 तक अद्यतन कर दिया गया है।

विभाग सभी गांवों के पुनर्वास के लिए आवश्यक वास्तविक धनराशि का आकलन करे ताकि आरटीआर के 66 गांवों और एसटीआर के 28 गांवों के पुनर्वास को लागू करने के लिए समयसीमा निर्धारित की जा सके। जन लेखा समिति ने समय पर गांवों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वित प्रयास करने पर भी जोर दिया ताकि बाघों की आवाजाही के लिए कॉरीडोर विकसित किया जा सके।

वर्ष 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 में 'राजस्थान में वन एवं वन्यजीव संरक्षण' पर एक अन्य निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित की गई, जिस पर जन लेखा समिति द्वारा दिसंबर 2021 में चर्चा की गई। जन लेखा समिति ने वन भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध खनन के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने तथा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की अनुशंषा की थी।

यह विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा जन लेखा समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुपालन करने तथा वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा का समग्र मूल्यांकन करने के उद्देश्य से की गई थी।

4.3.7 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा वन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा का प्रथम उद्देश्य यह देखना है कि क्या बाघ अभयारण्य एवं वन्यजीव प्राकृतिक आवास का प्रबंधन प्रभावी रूप से किया गया है।

इस उद्देश्य के अंतर्गत, लेखापरीक्षा में वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा से सम्बंधित कमियाँ पाई गईं, जैसे कि बाघ अभयारण्यों में अवैध शिकार, नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र, गश्त, कॉरीडोर का विकास, बाघ अभयारण्यों में निवारक उपाय, संरक्षण हेतु संसाधनों का आवंटन। इसके अलावा, वन्यजीव प्राकृतिकवासों के प्रबंधन और समेकन से संबंधित विभिन्न मुद्दे जैसे कि बाघ अभयारण्यों के अंदर और आसपास खनन, मानवजनित गतिविधियाँ, पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन, आक्रामक प्रजातियों का प्रभावी उन्मूलन न करना, अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ भी देखी गईं। इन मुद्दों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

4.3.8 वन्यजीवों का संरक्षण एवं सुरक्षा

वन्यजीव संरक्षण में संरक्षित क्षेत्रों को सहायता, कॉरीडोरों का विकास, वन अपराधों एवं अवैध शिकार की रोकथाम, वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन, वन्यजीवों को बचाने के लिए निवारक उपाय आदि शामिल हैं। सफल संरक्षण की कुंजी उस क्षेत्र में रहने वाली वन्यजीव प्रजातियों को प्राप्त सुरक्षा का स्तर है। 2016 से 2023 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में

बाघों की आबादी **चार्ट 4.2** में प्रस्तुत की गई है।

चार्ट 4.2: 2016-2023 के दौरान बाघों की आबादी

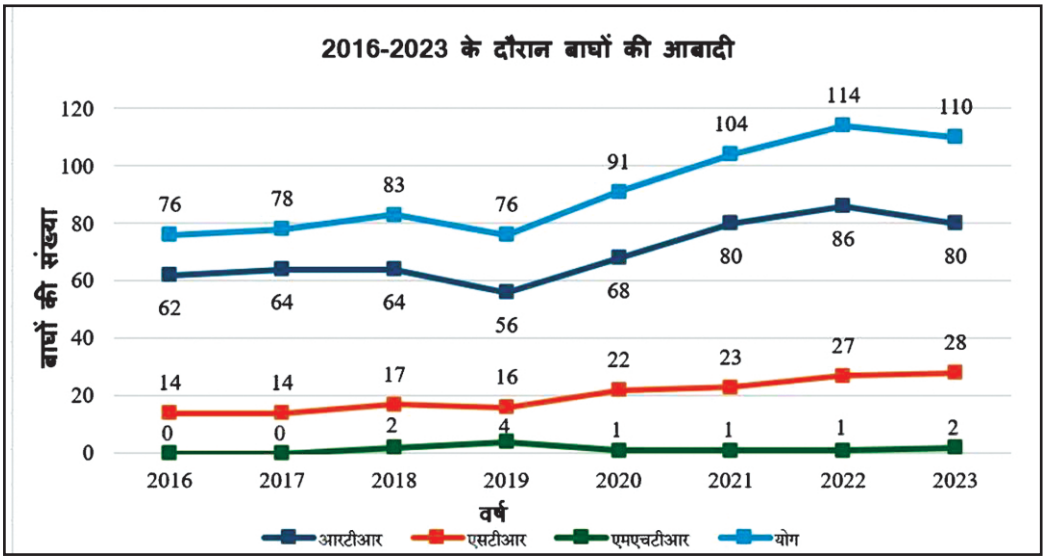

ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट है कि तीनों बाघ अभयारण्यों में बाघों की आबादी में वृद्धि की प्रवृति देखी गयी है। तीनों बाघ अभयारण्यों में कुल बाघों की संख्या 2016 में 76 से बढ़कर 2023 में 110 हो गई है।

वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए मुद्दों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

4.3.8.1 बाघों की मृत्यु

बाघों की मृत्यु दर को कम करने के लिए उनके संरक्षण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके लिए एनटीसीए द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। एनटीसीए की मानक संचालन प्रक्रिया (दिसंबर 2012) के अनुसार, विभाग को बाघों की मृत्यु के कारणों का पता लगाना भी आवश्यक था।

इस संबंध में, यह पाया गया कि विभाग द्वारा बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप 2016-24 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 14 बाघों की मृत्यु हुई, जिसका संक्षेप विवरण **तालिका 4.3** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4.3: 2016-24 के दौरान बाघों की मौत का विवरण

क्र.सं.	मृत्यु का कारण	आरटीआर	एसटीआर	एमएचटीआर	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
1	अवैध शिकार	2	2	-	4
2	क्षेत्रीय लड़ाई	9	1	-	10
योग		**11**	**3**	**-**	**14**

स्रोत: वन विभाग

उपरोक्त में 14 बाघों की मृत्यु, अवैध शिकार (चार बाघ) एवं क्षेत्रीय लड़ाई (दस बाघ) के कारण शामिल है, जोकि विभाग द्वारा विभिन्न संरक्षण और सुरक्षा उपायों के माध्यम से नियंत्रण करने योग्य थे। उपरोक्त के अलावा, नौ बाघों की मृत्यु बीमारियों के कारण हुई और जुलाई 2024 एवं सितंबर 2024 के दौरान आरटीआर-I में दो बाघों (टी-58 और टी-2312) की मृत्यु की सूचना मिली, जिनके कारणों की जांच की जा रही है।

बाघों की मृत्यु के कारणों का विश्लेषण किया गया तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:

(i) बाघ अभयारण्यों में अवैध शिकार

अवैध शिकार, बाघों के लिए प्रमुख खतरों में से एक है जो कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत निषिद्ध है। आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर ने बाघ अभयारण्यों में विशेष बाघ संरक्षण बल (एसटीपीएफ) की तैनाती के लिए एनटीसीए के साथ समझौता ज्ञापन (दिसंबर 2010, जनवरी 2018 एवं दिसंबर 2019) पर हस्ताक्षर किए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-23 के दौरान आरटीआर, एमएचटीआर और एसटीआर में वन्य जीवों के अवैध शिकार से संबंधित 393 अपराध दर्ज किए गए हैं। अवैध शिकार के प्रकरणों के कारणों में एसटीआर और एमएचटीआर में एसटीपीएफ की स्थापना न होना, गश्ती शिविरों में कार्मिकों की कमी (**अनुच्छेद 4.3.8.1** (iii)) आदि शामिल हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 2016-24 के दौरान आरटीआर और एसटीआर में अवैध शिकार के कारण चार बाघों की जान चली गई, जिससे आरटीआर और एसटीआर में बाघों के संरक्षण और सुरक्षा का उद्देश्य विफल हुआ। इससे पता चलता है कि विभाग संरक्षित क्षेत्र में अवैध शिकार को रोकने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप बाघों की मृत्यु हुई।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2022) कि सामान्यतः अपराध दूरदराज क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ गवाह और शिकायतकर्ता उपलब्ध नहीं होते, जिससे जांच एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाती है। इसके बाद, दिसंबर 2024 में, यह उत्तर दिया गया कि सरिस्का बाघ अभयारण्य ने 2004 में अवैध शिकार के कारण बाघों को खो दिया।

यह इंगित करता है कि अवैध शिकार सहित वन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सतर्कता में सुधार की आवश्यकता है।

(ii) वन्यजीव निगरानी एवं अवैध शिकार विरोधी प्रणाली

शिकार एवं अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु नियंत्रण और निगरानी तंत्र में सुधार करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (डीओआईटी एण्ड सी) के सहयोग से 2018-19 और 2019-20 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में वन्यजीव निगरानी एवं शिकार विरोधी प्रणाली (डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस)[5] की स्थापना की गई। इसमें

[5] एक एकीकृत सॉफ्टवेयर-आधारित निगरानी प्रणाली जो उच्च स्तरीय उष्ण/प्रकाशीय कैमरों से सुसज्जित है।

₹ 62 करोड़ की लागत से आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 44 कैमरा टावर[6] स्थापित किये जाने की योजना थी, जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और वन विभाग द्वारा संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन में पहचाने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से स्थल का चयन किया जाना था।

इस संबंध में यह देखा गया कि डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस की स्थापना और उपयोगिता में कमी रही, जिससे इसकी स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया और नियंत्रण और निगरानी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- **स्थानों का दोषपूर्ण चयन:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैमरों की स्थापना के लिए टावरों के संभावित स्थान के चयन के लिए एसटीआर और एमएचटीआर में कोई क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया था। हालांकि, आरटीआर में क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने वन विभाग से परामर्श किए बिना अपनी तकनीकी सुविधा के अनुसार टावरों के स्थान का चयन किया था। यह देखा गया कि 12 कैमरे जिन टावरों पर लगाए गए थे, उन सभी के स्थान क्षेत्र सर्वेक्षण में पहचाने गए स्थानों से अलग थे।

- **दोषपूर्ण कैमरों की मरम्मत में देरी:** अनुबंध (जून 2017) के अनुसार विक्रेता, स्थापना की तिथि से पांच वर्ष तक कैमरों के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी था। इस संबंध में, यह पाया गया कि आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के 44 स्थानों के कैमरे 2020-23 के दौरान 157 बार अनुपयोगी हो गए। हालांकि, विभाग ने कैमरों की त्वरित मरम्मत सुनिश्चित नहीं की। 59 मामलों में, मरम्मत में एक से दो महीने लगे तथा 46 मामलों में यह समय दो महीने से अधिक था (***परिशिष्ट-9***)।

- **मानवरहित नियंत्रण कमान केंद्र:** डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस के लाइव डेटा की निगरानी के लिए जयपुर के अरण्य भवन में नियंत्रण कमान केंद्र की स्थापना की गई, जिसने अप्रैल 2018 में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि, वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र की स्थापना की तारीख से आठ महीने बाद (जनवरी 2019) नियंत्रण कमान केंद्र में पदस्थापित किया गया। इसके अलावा, सात में से पांच कर्मचारियों ने केंद्र की स्थापना की दिनांक से दो साल से अधिक की देरी के बाद कार्यभार ग्रहण किया (अगस्त 2020 और अक्टूबर 2020)।

- **अवैध शिकार की घटनाओं का पता लगाना:** डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस की स्थापना के बाद, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में शिकार के 130 मामले दर्ज किए गए (2019-23), जिनमें से केवल 13 मामलों का पता डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस द्वारा लगाया गया। डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस की स्थापना के बाद बारह बाघों के लापता होने की सूचना मिली, जिनका पता सिस्टम द्वारा नहीं लगाया जा सका। सीसीएफ एवं एफडी, एसटीआर

[6] आरटीआर-12, एसटीआर-16 एवं एमएचटीआर-16

ने स्वयं स्वीकार किया (दिसंबर 2020) कि डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस रात्रि में शिकार के मामलों का पता लगाने में उपयोगी नहीं था।

- **पता लगाए गए मामलों पर कार्यवाई नहीं:** विभाग ने डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस के माध्यम से पता लगाए गए संभावित मामलों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जैसा कि नीचे **तालिका 4.4** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 4.4: डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस के माध्यम से पता लगाई गई घटनाओं पर की गई कार्रवाई की स्थिति

वर्ष	आरटीआर			एसटीआर			एमएचटीआर		
	पता लगाए गए	कार्रवाई की गई	प्रतिशत	पता लगाए गए	कार्रवाई की गई	प्रति शत	पता लगाए गए	कार्रवाई की गई	प्रति शत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2019-20	85	2	2.35	381	185	48.56	278	0	-
2020-21	669	5	0.75	508	425	83.66	632	1	0.16
2021-22	1,087	0	-	1,232	143	11.61	2,395	2,225	92.90
2022-23	1,433	773	53.94	1,144	70	6.12	3,078	3,038	98.70
योग	**3,274**	**780**	**23.82**	**3,265**	**823**	**25.21**	**6,383**	**5,264**	**82.46**

स्रोतः वन विभाग।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विभाग ने डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस द्वारा पता लगाए गए संभावित मामलों में से 53.14 प्रतिशत[7] पर कार्रवाई की। इस प्रकार, बाघ अभयारण्यों में नियंत्रण और निगरानी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस की स्थापना का उद्देश्य कैमरों की स्थापना के लिए उचित स्थान के चयन की अनुपस्थिति, सिस्टम द्वारा पता लगाए गए मामलों पर देरी से कार्रवाई, समय पर अनुपयोगी कैमरों की मरम्मत न किए जाने के कारण पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2022) कि टावरों के स्थान को तकनीकी व्यवहार्यता, संवेदनशीलता और क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था। विभाग ने बताया कि डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस द्वारा पता लगाए गए मामलों पर अपर्याप्त मानव संसाधन के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसके अलावा, विभाग ने यह भी बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को नियमित रूप से काम नहीं करने वाले कैमरों के बारे में सूचित किया जाता था।

दिसंबर 2024 में उत्तर दिया गया कि खराब कैमरों की मरम्मत कार्य भी नियमित रूप से किया जा रहा है। वन्यजीव शिकार से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है।

आरटीआर द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार 12 में से पाँच कैमरे जुलाई 2024 से अभी भी (दिसंबर 2024) काम नहीं कर रहे थे।

[7] डब्ल्यूएस एवं एपीएस द्वारा आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 2019-23 के दौरान पता लगाए गए कुल 12,922 मामलों में से विभाग ने केवल 6,867 मामलों में कार्रवाई की है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्थानों के चयन का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए उत्तर की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा नहीं कि जा सकी।

(iii) गश्त

राजस्थान वन नियमावली में प्रावधान है कि अवैध शिकार की रोकथाम के लिए गश्त सबसे प्रभावी भौतिक उपाय है। बाघ अभयारण्य की सुरक्षा काफी हद तक उचित आधारभूत संरचना सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है, जिसमें अच्छी तरह से सुसज्जित गश्ती शिविर, पर्याप्त आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, पर्याप्त मानवबल आदि शामिल हैं।

- ***गश्त योजना:*** राजस्थान वन नियमावली में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक बाघ अभयारण्य द्वारा एक आवधिक गश्त योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसे खुफिया प्रतिवेदन[8] के आधार पर अधिकतम क्षेत्र कवरेज के लिए नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। हालाँकि, राज्य के किसी भी बाघ अभयारण्य के लिए कोई गश्त योजना तैयार नहीं पाई गई। इसके अलावा, आरटीआर और एमएचटीआर गश्ती शिविरों में अपराध सूचना प्रतिवेदन भी संधारित नहीं किये गये थे, जबकि एनटीसीए के दिशा-निर्देशों में गश्त योजना तैयार करने से पहले अपराध के आंकड़े एकत्र करने का निर्देश दिया गया था।

- ***गश्ती शिविरों में स्टाफ की स्थिति:*** रणनीतिक रूप से स्थित वन शिविर और हमेशा सतर्क रहने वाले स्टाफ द्वारा की गई गहन गश्त से घुसपैठ और अतिक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। निदेशक (बाघ परियोजना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों के संकलन (नवंबर 2004) में यह प्रावधान किया गया है कि एक गश्ती दल में आदर्श रूप से कम से कम चार स्टाफ सदस्य होने चाहिए।

- आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 175 गश्ती शिविर[9] थे। हालांकि, गश्ती शिविरों में पर्याप्त स्टाफ तैनात नहीं था, उपरोक्त गश्ती शिविरों में 700 स्टाफ की आवश्यकता के मुकाबले 388 स्टाफ ही तैनात था, जिससे 312[10] स्टाफ की रिक्तता रह गई। इसके अलावा, यह देखा गया कि 31 मार्च 2023 तक दूरदराज के इलाकों में स्थित नाकों/चौकियों, जो जोखिम से अधिक ग्रस्त थे, की तुलना में मण्डल कार्यालयों और मुख्य सड़कों के पास स्थित रेंजों में अधिक स्टाफ तैनात था । 19 गश्ती शिविरों[11] के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में यह पाया गया कि आरटीआर में एक चौकी बिना किसी भवन और कर्मचारियों के स्थापित की गई थी और चार चौकियों[12] में केवल एक स्टाफ की ही तैनात

---

8 जैसा कि राज्य वन्यजीव अपराध ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है।

9 आरटीआर- 85, एसटीआर- 57 और एमएचटीआर- 33

10 आरटीआर- 146, एसटीआर- 105 और एमएचटीआर-61

11 एमएचटीआर- तीन, आरटीआर-आठ और एसटीआर -आठ

12 आरटीआर- अंगुलेट *चौकी*, रायपुर, एसटीआर- बेरीअर भृतहरी, तारूण्डा।

थी। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि एसटीपीएफ के स्थान पर वन रक्षकों के साथ तीन चौकियों[13] पर केवल एक से दो होमगार्ड तैनात किए गए थे।

- ***गश्ती शिविरों में सुविधाएं:*** आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 19 गश्ती शिविरों के संयुक्त निरीक्षण से प्रकट हुआ कि एमएचटीआर के बोरावास में केवल एक गश्ती शिविर में आग्नेयास्त्र उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा, एसटीआर के केवल दो गश्ती शिविरोंः खो और कुशलगढ़ में बाघ अनुरेखक[14] उपलब्ध कराए गए थे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अन्य सहायक सुविधाएँ जैसे पानी की बोतल, मच्छरदानी, प्राथमिक चिकित्सा किट, माप फीता, टॉर्च, बैटरी, दूरबीन, सुरक्षा दीवार, बिजली, पीने का पानी आदि भी सभी गश्ती शिविरों में उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, गश्त योजना तैयार करके खतरों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित उपायों के कार्यान्वयन, गश्त शिविरों में पर्याप्त स्टाफ की तैनाती, गश्त शिविरों में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने आदि के अभाव में, वन्यजीवों की सुरक्षा इस सीमा तक खतरे में पड़ गई।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2022 तथा दिसंबर 2024) कि विभिन्न क्षेत्रों की संवेदनशीलता के आकलन और टीसीपी के अनुसार गश्त की गई थी। इसके अलावा, निधियों की उपलब्धता के अनुसार धीरे-धीरे आधारभूत संरचना प्रदान की जा रही है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने वन नियमावली में दिए गए अनुसार अपनी गश्त योजनाओं का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। आगे, इस तथ्य के बावजूद कि विभाग के पास निधि उपलब्ध थी, इसका उपयोग पर्याप्त आधारभूत संरचना को सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया जा सका (**अनुच्छेद 4.3.8.3**(i))।

(iv) क्षेत्रीय संघर्षो से बचने के लिए कॉरीडोरों का विकास

वन्यजीव कॉरीडोर स्वाभाविक भौगोलिक संयोजन होते हैं, जो बाघों और अन्य जानवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं। दो वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों के बीच, खासकर बाघों के उच्च घनत्व वाले बाघ अभयारण्यों के लिए, बाघों के बीच संघर्ष से बचने के लिए एवं उनके सुरक्षित प्रसार को सक्षम बनाने के लिए, कॉरीडोरों की पहचान करना और उन्हें विकसित करना आवश्यक है।

आरटीआर-I में बाघों की आबादी का अत्यधिक दबाव था, जिसके कारण उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों से कम घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघों की बढ़ती आबादी के प्रसार और आवाजाही के लिए कॉरीडोरों के विकास की अत्यंत आवश्यकता थी। आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में बाघ घनत्व का विवरण **तालिका 4.5** में दिया गया है।

---

[13] विभागीय अधिकारियों के साथ किए गए संयुक्त निरीक्षण के अनुसार 19 चौकियां।

[14] एक कांच की प्लेट, लगभग 25 गुणा 30 सेंटीमीटर, जिसका उपयोग पग छाप पैड पर छोड़े गए पगचिह्न की रूपरेखा का पता लगाने के लिए किया जाता है।

तालिका 4.5: बाघ अभयारण्यों में बाघ घनत्व का विवरण

बाघ अभयारण्य का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	बाघों की संख्या (मार्च 2023 तक)	एक बाघ द्वारा आच्छादित औसत क्षेत्र (किमी में)
(1)	(2)	(3)	(4)
आरटीआर-I मुख्य क्षेत्र	636.24	76	8.37
आरटीआर-II मुख्य क्षेत्र	477.12	4	119.28
एसटीआर मुख्य क्षेत्र	881.11	28	31.47
एमएचटीआर मुख्य क्षेत्र	417.17	2	शून्य[15]

स्रोतः वन विभाग

तदनुसार, राज्य सरकार ने एनटीसीए के परामर्श से, बाघों और अन्य जानवरों को आरटीआर के उच्च पशु घनत्व वाले क्षेत्रों से अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में आवाजाही के लिए छह कॉरीडोर[16] विकसित करने की पहचान की, (अप्रैल 2013, जनवरी 2014) जिनमें से एक कॉरीडोर यानी आरटीआर-कैलादेवी-बनास नदी[17] को आरटीआर-I से आरटीआर-II के साथ निकटता के कारण, बाघों के आवाजाही के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया।

हालांकि, विभाग ने आरटीआर-I और आरटीआर-II के बीच अत्यंत आवश्यक कॉरीडोर सहित पहचाने गए छह कॉरीडोर में से किसी का भी विकास सुनिश्चित नहीं किया। कॉरिडोरों के विकास न होने के कारणों में प्रस्तावित कॉरिडोरों में स्थित गांवों का पुनर्वास करने में विफलता, कॉरिडोर का सीमांकन, पुनर्वास के गहन कार्यक्रम हेतु विस्तृत सर्वेक्षण और माइक्रो योजना का निर्माण जैसी गतिविधियों का निष्पादन न करना तथा कॉरिडोर मार्ग में आने वाली कृषि भूमि की फेंसिंग आदि शामिल थे। प्रस्तावित कॉरीडोरों का विकास न होने के कारण बाघों का घनत्व अनावश्यक रूप से बढ़ गया (प्रति बाघ 8.37 किलोमीटर) तथा इसके परिणामस्वरूप 2016-24 के दौरान आरटीआर-I में क्षेत्रीय संघर्ष के कारण नौ बाघों की मृत्यु हुई, जो अवैध शिकार के कारण होने वाली मौतों से कहीं अधिक थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि कॉरिडोर क्षेत्रों में चरागाह विकास, जूलीफ्लोरा उन्मूलन आदि जैसी गतिविधियाँ की जा रही हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बाघों की आवाजाही को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य नियोजित गतिविधियाँ जैसे कि कॉरिडोरों का सीमांकन, कॉरिडोर क्षेत्रों में आने वाले कृषि क्षेत्रों में बाड़बंदी को हतोत्साहित करना, उपयुक्त स्थानों पर जल स्रोत विकसित करना आदि नहीं की गयी।

[15] बाघों को सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने तथा उन्हें अभयारण्य के प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलित होने में मदद करने के लिए बाड़ों में स्थानांतरित किया गया; परिणामस्वरूप टाइगर रिजर्व का पूरा क्षेत्र अप्रयुक्त रह गया।

[16] आरटीआरः रणथंभौर-केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य-वन विहार वन्यजीव अभयारण्य, रणथंभौर-कुनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य और रणथंभौर-रामगढ़ विषधारी- मुकंदरा हिल्स (तीन), एसटीआरः एसटीआर-जमवा रामगढ़ (एक), एमएचटीआरः इंद्रगढ़-लाखेरी-रामगढ़ विषधारी अभयारण्य-डाबी-जवाहर सागर अभयारण्य, चम्बल-कालीसिंध से दरा वन्यजीव अभयारण्य (दो)।

[17] रणथंभौर- कैलादेवी वन्यजीव अभयारण्य- वन विहार वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग।

4.3.8.2 बाघ अभयारण्यों में निवारण उपाय

बाघ अभयारण्यों में विभिन्न आधारभूत संरचनाएं जैसे सड़कें, रेलवे लाइनें और प्रसारण लाइनें क्षेत्र को विभाजित करती हैं, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को खंडित करती हैं और प्रायः जानवरों की मृत्यु का कारण बनती हैं, इस प्रकार, कई प्रजातियों को खतरे में डालती हैं जो पहले से ही विकास कार्यों के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हैं। तदनुसार, डब्ल्यूआईआई ने (अक्टूबर 2016) बाघ अभयारण्यों से गुजरने वाली सड़कों पर उपमार्ग का निर्माण, ध्वनि अवरोधकों का उपयोग तथा रात्रिकालीन यातायात पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। एसटीआर के 2014-24 की अवधि के टीसीपी में प्रावधान किया गया है कि बाघ अभयारण्य से गुजरने वाली बिजली लाइनों की, शॉर्ट सर्किट, आग और जंगली जानवरों को बिजली के झटके से बचाने के लिए समय-समय पर जाँच की जानी चाहिए।

इस संबंध में, यह पाया गया कि विभाग ने आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में निवारक उपायों को सुनिश्चित नहीं किया, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में बाघ अभयारण्य से आठ[18] प्रसारण लाइने गुज़र रही थीं। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एमएचटीआर में चार[19] वन्यजीवों की और आरटीआर में एक भालू की मृत्यु दर्ज की गई थी, जोकि बिजली के झटकों के कारण हुई थी। इसके बावजूद, ऊर्जा विभाग के साथ समन्वय करके किसी भी बाघ अभयारण्य द्वारा कोई विद्युत रोधन संरक्षण परत का कार्य या अन्य निवारक उपाय नहीं किए गए, जिसके कारण वन्यजीवों के लिए खतरा बना रहा।

- एनटीसीए द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, बाघ अभयारण्यों में सड़कों पर हर 300-400 मीटर की दूरी पर गति उभार और रंबल पट्टियों का निर्माण किया जाना था। हालांकि, आरटीआर के मुख्य क्षेत्र से गुजरने वाले 10.69 किलोमीटर के खण्ड सवाई माधोपुर-शिवपुरी सड़क (एसएच-30) चौड़ाईकरण कार्य (2019-20) के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (नवंबर 2021) के दौरान यह पाया गया कि गति उभार और रंबल पट्टियों का निर्माण शर्तों के अनुसार नहीं किया गया था।

- उपरोक्त सड़कें बाघ अभयारण्यों से होकर गुज़रती हैं, इसके बावजूद संबंधित प्राधिकारियों के साथ इसके निवारक उपाय करने के लिए कोई पत्राचार नहीं किया गया।

  परिणामस्वरूप, एमएचटीआर (2016-23) में 17 जानवर[20], एसटीआर (2016-23) में दो पैंथर और 261 अन्य जानवर सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। सरकार ने (नवंबर 2022) बताया कि विभिन्न निवारक उपाय जैसे उपयुक्त संकेतों की स्थापना, पर्याप्त गति-

[18] आरटीआर- दो लाइन, एसटीआर- 26 किलोमीटर की दो लाइन, एमएचटीआर- चार लाइन।

[19] दो नीलगाय और दो बन्दर।

[20] तेंदुआ, भालू, जंगली सूअर, सांभर, सियार, चीतल आदि।

अवरोधकों का निर्माण, थानागाजी से नटनी का बारा तक एलिवेटेड सड़क का प्रस्ताव, एमएचटीआर में भूमिगत सुरंग का निर्माण आदि किए जा रहे हैं।

4.3.8.3 संरक्षण के लिए संसाधनों का आवंटन

वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए संसाधनों में वित्तपोषण, मानव संसाधन, आधारभूत संरचना सुविधाएं, प्रौद्योगिकी और उपकरण शामिल हैं। पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित कार्मिक, उचित आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी, वनों को अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए प्रभावी निगरानी और विनियमों को लागू करने में सक्षम बनाते हैं। वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए संसाधनों के आवंटन से सम्बंधित देखे गए मुद्दों का विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है:

(i) अपर्याप्त निधि प्रबंधन

संरक्षित क्षेत्रों में नियोजित संरक्षण एवं सुरक्षा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान की मांग के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत निधियां प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा सीएसएस में अपनी समतुल्य हिस्सेदारी के अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत भी अलग से बजट उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (केम्पा), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना आदि के तहत भी निधियाँ स्वीकृत की जाती है। राज्य सरकार को वार्षिक कार्य योजनाओं में नियोजित गतिविधियों को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं से संबंधित हिस्से सहित, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इसकी प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर बाघ अभयारण्य को सीएसएस निधि जारी करना आवश्यक था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- **निधियों का कम उपयोग:** 2016-23 की अवधि के दौरान, सीएसएस, राज्य बजट और अन्य स्रोतों के अंतर्गत आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के लिए ₹ 539.59 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध, विभाग ने केवल ₹ 344.06 करोड़ का उपयोग किया, जैसा **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.6: वर्ष 2016-23 की अवधि के दौरान आवंटन और व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बाघ अभयारण्य	राज्य योजना		सीएसएस		अन्य स्रोत		योग	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आरटीआर	64.11	28.08	33.03	20.84	106.62	69.00	203.76	117.92
एसटीआर	38.00	29.01	29.73	24.70	82.10	67.71	149.83	121.42
एमएचटीआर	20.41	14.88	14.62	9.15	150.97	80.69	186.00	104.72
योग	**122.52**	**71.97**	**77.38**	**54.69**	**339.69**	**217.40**	**539.59**	**344.06**

स्रोतः राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे एवं वन विभाग से प्राप्त सूचना।

आवंटित बजट के उपयोग में कमी का मुख्य कारण वर्ष 2016-21 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के वार्षिक कार्य योजना में नियोजित ₹ 11.42 करोड़ की राशि की 301[21] गतिविधियों में से 50[22] को क्रियान्वित नहीं करना था, जो स्थानीय कार्यबल की तैनाती, वन्यजीवों की दैनिक निगरानी, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को खाद्यसामग्री, जांच चौकियों का निर्माण, मुख्य क्षेत्र प्राकृतिक आवास सुधार, सड़कों का रखरखाव, हथियारों की खरीद आदि से संबंधित थीं। इसके अलावा, 2021-23 के दौरान भी, विभाग ने संबंधित वर्षों के वार्षिक कार्य योजना में नियोजित 203 गतिविधियों में से 43 गतिविधियों को क्रियान्वित नहीं किया।

इसके अलावा राज्य सरकार ने आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर को सीएसएस के अंतर्गत मिलने वाली निधियों की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह की निर्धारित अवधि में जारी करना सुनिश्चित नहीं किया तथा निधियाँ जारी करने में 200 दिनों तक की देरी हुई ***(परिशिष्ट-10)***। विशेष रूप से, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर की नौ स्वीकृतियों में, ₹35.13 करोड़[23] की निधियाँ उस वित्तीय वर्ष के फरवरी एवं मार्च में तथा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जून में भी जारी की गई, जिससे इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा और आवंटित निधियों का कम उपयोग हुआ।

- **संरक्षण शुल्क आरोपण में विफलता:** एनटीसीए दिशा-निर्देश (2012) में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार दिशा-निर्देशों की तिथि से एक वर्ष के भीतर, पारिस्थितिकी विकास और स्थानीय समुदाय उत्थान कार्य के लिए, छः से अधिक बिस्तरों वाले होटलों पर प्रति माह संचालन के दौरान ₹ 500 से 3,000 प्रति कमरा की दर से संरक्षण शुल्क आरोपण कर सकती है। वन्यजीव संरक्षण के लिए उपकर आरोपण पर आरटीआर के टीसीपी में चर्चा की गई थी और राज्य वन्यजीव मण्डल की एक बैठक (अक्टूबर 2016) में भी इसका प्रस्ताव रखा गया था। हालाँकि, राज्य सरकार ने अपने किसी भी बाघ अभयारण्य में होटलों पर संरक्षण शुल्क आरोपण की अधिसूचना जारी नहीं की (दिसंबर 2024)। संरक्षण शुल्क आरोपण अधिसूचित न किये जाने का मुख्य कारण राज्य सरकार की पहल की कमी थी।

इस प्रकार, विभाग ने अपने बाघ अभयारण्यों से संबंधित निधियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं किया, क्योंकि विभाग द्वारा आवंटित निधियों के उपयोग में कमी थी, सीएसएस निधियों को जारी करने में विलम्ब हुआ तथा राज्य सरकार द्वारा होटलों पर संरक्षण शुल्क आरोपण में विफलता रही।

---

[21] आरटीआर– 77, एसटीआर– 97 और एमएचटीआर– 127

[22] आरटीआर– 15, एसटीआर– 19 और एमएचटीआर– 16

[23] आरटीआर- ₹ 9.30 करोड़ (21 फरवरी 2017), ₹ 6.66 करोड़ (28 फरवरी 2022), ₹ 4.71 करोड़ (03 मार्च 2023, 07 जून 2023)। एसटीआर- ₹ 5.88 करोड़ (28 फरवरी 2022), ₹ 3.89 करोड़ (20 मार्च 2023, 06 जून 2023), एमएचटीआर- ₹ 3.18 करोड़ (28 फरवरी 2022), ₹ 1.51 करोड़ (08 फरवरी 2023)।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2022 एवं दिसंबर 2024) कि निधियों का कम उपयोग मुख्य रूप से सीएसएस निधियों के देरी से जारी होने के कारण हुआ। इसके अलावा, अपर्याप्त कानूनी प्रावधानों और क्रियान्वयन से सम्बन्धी मुद्दों के कारण होटलों पर संरक्षण शुल्क आरोपण नहीं हो पाया।

लेखापरीक्षा का मत है कि विभाग को संरक्षण शुल्क की अधिसूचना के लिए विभाग को प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा संरक्षण शुल्क आरोपण के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

(ii) अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबंधन

वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 में भी यह उल्लिखित था कि राज्य में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित वन्यजीव कार्मिक होने चाहिए।

इस संबंध में, यह देखा गया कि आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में मानव संसाधन प्रबंधन अपर्याप्त था, जिससे वहां संरक्षण और सुरक्षा गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- 31 मार्च 2023 तक, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में स्वीकृत 640 कार्मिकों में से केवल 295 कार्मिक ही कार्यरत थे, जिससे 345 कार्मिकों की रिक्तियां रह गईं। इसके अलावा, स्वीकृत पदों की रिक्तियां 11.01 प्रतिशत (31 मार्च 2017) से बढ़कर 53.91 प्रतिशत (31 मार्च 2023) हो गई हैं, जिसका मुख्य कारण 2016-17 के बाद एसटीआर और एमएचटीआर में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की भर्ती न होना है। विवरण **तालिका 4.7** में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 4.7: आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में कर्मचारियों की स्थिति

पद का नाम	31 मार्च 2017 तक			31 मार्च 2023 तक		
	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क्षेत्रीय वन अधिकारी	37	30	7 (18.92)	39	28	11 (28.21)
वनपाल	57	47	10 (17.54)	54	39	15 (27.78)
सहायक वनपाल	75	65	10 (13.33)	78	64	14 (17.95)
वन रक्षक	467	424	43 (9.21)	469	164	305 (65.03)
योग	**636**	**566**	**70 (11.01)**	**640**	**295**	**345 (53.91)**

स्रोत: वन विभाग।

आरक्षित वनों में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित मुद्दे निम्नानुसार हैं।

- उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि पिछले छः वर्षों में रिक्तियों (53.91 प्रतिशत) की स्थिति और खराब हो गई है।

- राजस्थान वन नियमावली, 2013 में वन रक्षक द्वारा निगरानी और रखवाली के लिए पांच से सात वर्ग किलोमीटर के मानदंड निर्धारित किए गए थे। हालांकि, वन रक्षकों की कमी के कारण, एक वन रक्षक को बाघ अभयारण्यों में 15.39 वर्ग किलोमीटर से 22.35 वर्ग किलोमीटर तक पहरेदारी एवं सुरक्षा क्षेत्र की निगरानी करनी पड़ रही थी, जो निर्धारित मानदंडों ***(परिशिष्ट-11)*** से बहुत अधिक थी। इससे बाघ अभयारण्य क्षेत्र की प्रभावी निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आरटीआर-II और एमएचटीआर में डीसीएफ (पुनर्वास) का पद रिक्त रहा। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीसीएफ का पद रिक्त होने के कारण, गांवों के पुनर्वास को अभियान के रूप में नहीं लिया जा सका, जिसने बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों से गांवों के पुनर्वास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, जैसा कि **अनुच्छेद 4.3.8.7** (i) में चर्चा की गई है।

- बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए अपेक्षित योग्यता वाले पेशेवरों का एक समूह विकसित करने के उद्देश्य से, डब्ल्यूआईआई ने उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक और समकक्ष अधिकारियों के लिए उन्नत वन्यजीव प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और सेवारत क्षेत्रीय वन अधिकारियों और उप क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित[24] किया। हालाँकि, विभाग ने बाघ अभयारण्यों में पदस्थापित 10 पात्र अधिकारियों में से केवल दो को ही नामित किया, जिन्होंने डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा किया। इसके अलावा, मार्च 2023 तक 26 क्षेत्रीय वन अधिकारियों में से किसी के भी पास डब्ल्यूआईआई प्रमाणपत्र नहीं था।

- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 एवं 2017-31 में बाघ अभयारण्यों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को वन्यजीव आबादी पर मूलभूत डेटा एकत्र करने, नमूना संग्रह और जांच, जानवरों को बचाने, वन्यजीव स्वास्थ्य निगरानी और मानव वन्यजीव संघर्ष आदि के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया था।

  हालांकि, चौकियों के सर्वेक्षण से यह प्रकट हुआ कि नमूना संग्रह और जांच, वन्यजीव स्वास्थ्य निगरानी, जानवरों के बचाव और मानव वन्यजीव संघर्ष पर प्रशिक्षण क्रमशः केवल 32 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 26 प्रतिशत कर्मचारियों को ही प्रदान किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने 2016-23 के दौरान प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के उद्देश्य से आवंटित ₹ 62.80 लाख में से केवल ₹ 12.48 लाख की निधियों का ही उपयोग किया।

इस प्रकार, विभाग ने रिक्त पदों को न भरकर तथा अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान न करके अपने बाघ अभ्यारण्यों में पर्याप्त मानवसंसाधन प्रबंधन को सुनिश्चित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप वन रक्षकों द्वारा बाघ अभ्यारण्यों की निगरानी के लिए आवरित क्षेत्र में अनुचित वृद्धि हुई।

[24] एनडब्ल्यूएपी 2002-16 में विहित पाठ्यक्रम।

राज्य सरकार ने टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2022) कि क्षेत्र की संवेदनशीलता और प्रबंधन की गहनता के आधार पर गश्त क्षेत्र भिन्न-भिन्न होता है। दिसंबर 2024 में, यह उत्तर दिया गया कि नए वन रक्षकों की भर्ती की गई है और वे प्रशिक्षणरत हैं। रिक्त पदों के प्रबंधन के लिए, गश्त और शिकार विरोधी गतिविधियों के लिए गृह रक्षक तैनात किए जाते हैं।

(iii) पशुचिकित्सा स्टाफ की कमी

वन्यजीवों के समुचित स्वास्थ्य प्रबंधन में बीमार और घायल जानवरों का इलाज, बन्दी अवस्था में रखे गए वन्यजीवों की देखभाल, स्थानांतरण के लिए वन्यजीवों का स्वास्थ्य मूल्यांकन, रोगों की निगरानी, रोगों के खिलाफ निवारक उपाय करना आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, पशुचिकित्सा स्टाफ की स्थिति अपर्याप्त थी, जैसा कि **तालिका 4.8** में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.8: पशुचिकित्सा कर्मचारियों की स्थिति

वर्ष	एमएचटीआर				आरटीआर				एसटीआर			
	स्वीकृत		पदस्थापित		स्वीकृत		पदस्थापित		स्वीकृत		पदस्थापित	
	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सहायक	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सहायक	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सहायक	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सहायक	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सहायक	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सहायक
2016-17	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
2017-18	1	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0
2018-19	1	1	01 चिकित्सक अगस्त 2018 से पदस्थापित किया	0	1	2	0	0	1	0	0	0
2019-20	1	1	1	0	1	2	01 चिकित्सक 25.09.2020 को पदस्थापित किया	0	1	0	0	0
2020-21	1	1	1	0	1	2	1	0	1	0	01 चिकित्सक 26.10.2020 को पदस्थापित किया	0

स्रोतः वन विभाग।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एसटीआर में स्वीकृत एक चिकित्सक के पद के विरुद्ध अक्टूबर 2020 तक कोई चिकित्सक पदस्थापित नहीं किया गया था, आरटीआर में एक चिकित्सक और दो स्टाफ के स्वीकृत पद के विरुद्ध सितंबर 2020 में एक चिकित्सक का ही पदस्थापन किया गया तथा आज तक कोई स्टाफ पदस्थापित नहीं किया गया। एमएचटीआर में एक चिकित्सक और एक स्टाफ के स्वीकृत पद के विरुद्ध अगस्त 2018 में एक चिकित्सक का पदस्थापन किया गया परन्तु आज तक कोई स्टाफ पदस्थापित नहीं किया गया। आरटीआर और

एसटीआर में भी चिकित्सकों का पदस्थापन क्रमशः सितम्बर 2020 एवं अक्टूबर 2020 में किया गया।

इसके अलावा, आरटीआर में एक एम्बुलेंस 2013 में खरीदी गई थी और बड़े आकार और स्टाफ की कमी के कारण इसका उपयोग नहीं किया गया था। एसटीआर और एमएचटीआर में, बचाव वाहन 2022-23 के दौरान प्राप्त गए थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2024) कि वन्यजीव स्वास्थ्य की निगरानी पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जिन्हें एस.टी.आर. और आर.टी.आर. में पदस्थापित किया गया है।

4.3.8.4 वन्यजीव प्राकृतिकवासों का प्रबंधन और समेकन

प्राकृतिक आवास वह स्थान है जहाँ जीव अपने जीवनयापन हेतु आवश्यक सभी पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ अपना घर बनाता है। प्राकृतिक आवास पतन के प्रमुख कारण बाघ अभयारण्य के अंदर मानवजनित गतिविधियाँ हैं अथार्त खनन और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ, धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए लोगों का आवागमन, पर्यटन और मवेशी चराना आदि। वन्यजीव प्राकृतिक आवास को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं का सीमांकन, राजस्व अभिलेखों में भूमि के शीर्षक का अमलदरामद, वाणिज्यिक, पर्यटन और खनन गतिविधियों का विनियमन आवश्यक है। इस संबंध में विभाग के प्रयासों की लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की गई और टिप्पणियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(i) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा

राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) की घोषणा के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश (फरवरी 2011) में संरक्षित क्षेत्रों के दस किलोमीटर के भीतर भूमि की पहचान, सर्वेक्षण और ईएसजेड की घोषणा के लिए राज्य सरकार द्वारा यथाशीघ्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रावधान है। इससे वन्यजीव अभयारण्यों के लिए एक तरह का आघात अवशोषक क्षेत्र तैयार होगा साथ ही उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा।

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) ने एसटीआर, आरटीआर और एमएचटीआर के आसपास तीन ईएसजेड घोषित करने के प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत[25] किए, जिनमें से केवल एमएचटीआर के आसपास ईएसजेड को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया (25 नवंबर 2020)। एसटीआर और आरटीआर के आसपास के दो ईएसजेड की घोषणा लंबित है, जिसका मुख्य कारण ईएसजेड में सम्पूर्ण बफर क्षेत्रों को शामिल करने, मुख्य क्षेत्र के आसपास न्यूनतम क्षेत्र को ईएसजेड के

[25] एसटीआर– 10 अप्रैल 2017, एमएचटीआर– 21 अप्रैल 2017 और आरटीआर– 05 मई 2017

रूप में चिह्नित करने, बाघ अभयारण्यों के आसपास भूमि उपयोग को दर्शाने वाले नवीनतम रंगीन मानचित्र उपलब्ध कराने आदि से संबंधित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों का पालन न करना है। परिणामस्वरूप, एसटीआर में बाघ अभयारण्य के एक किमी क्षेत्र में और उसके आसपास खनन की निषिद्ध गतिविधि जारी रही, जैसा कि **अनुच्छेद 4.3.8.4** (iii) में चर्चा की गई है। ईएसजेड की अधिसूचना में देरी के मुद्दे को पूर्व में सीएजी ने अपनी 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 में उजागर किया था, जिस पर जन लेखा समिति ने भी मामले में तेजी लाने की सिफारिश की थी (मार्च 2022), तथापि स्थिति यथावत बनी हुई है।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2022) कि ईएसजेड की अधिसूचना में देरी इसकी अधिसूचना के लिए आवश्यक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के कारण हुई। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (जून 2022) के अनुसार, ईएसजेड की सीमा एक किमी से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि अधिसूचित ईएसजेड का क्षेत्र कुछ स्थानों पर एक किमी से कम था, इस कारण से जोनल मास्टर प्लान तैयार नहीं किए जा सके। इसके बाद यह उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि एसटीआर के आसपास ईएसजेड की अंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव अप्रैल 2024 में राज्य सरकार को भेजा गया है और आरटीआर की प्रारूप अधिसूचना अक्टूबर 2024 में भेजी गई है।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि छः वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, आरटीआर और एसटीआर के आसपास ईएसजेड की घोषणा नहीं की गई।

(ii) बाघ अभयारण्यों का असुरक्षित क्षेत्र

राजस्थान राज्य वन नीति, 2010 और बाघ अभयारण्यों के टीसीपी में प्रावधान किया गया है कि सभी अधिसूचित वन क्षेत्रों को सीमा स्तंभ निर्माण कर सीमांकित किया जाना चाहिए और राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण विभाग के नाम से किया जाना चाहिए, जिसका मुख्य उद्देश्य बाघ अभयारण्यों में अवैध खनन और अतिक्रमण को रोकना है, जो बाघ अभयारण्यों के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करते है और वन्यजीवों के लिए उपलब्ध कुल क्षेत्र में कमी और प्राकृतिक आवास के नुकसान का कारण बनते है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया किः

- नवंबर 2022 तक बाघ अभयारण्यों की 2,136.01 किलोमीटर[26] की कुल सीमा में से 1,783.60 किलोमीटर[27] (83.50 प्रतिशत) पर बाड़ का निर्माण नहीं किया गया था। इसके अलावा, हालांकि आरटीआर और एमएचटीआर में दीवार/सीमा स्तंभों के निर्माण द्वारा भौतिक सीमांकन पूरा हो गया था, एसटीआर में 761.52 किलोमीटर की कुल सीमा में से केवल 46.60 किलोमीटर (6 प्रतिशत) भौतिक सीमांकन पूरा हुआ था। एसटीआर में 714.92 किलोमीटर सीमा का सीमांकन न करने का मुख्य कारण विभाग के नाम पर भूमि का नामान्तरण नहीं होना था। इसके अलावा, विभाग 2018-23 के दौरान आरटीआर में चारदीवारी निर्माण के लिए आवंटित ₹ 21.94 करोड़ में से केवल ₹ 14.33 करोड़ का उपयोग कर सका।

चित्र 4.2: आरटीआर में मवेशियों को चरने के लिए छोड़ते ग्रामीण (जुलाई 2021)

इस प्रकार, 2018-23 के दौरान एसटीआर में सीमा का सीमांकन नहीं होने और आरटीआर में चारदीवारी के निर्माण के लिए आवंटित निधियों के कम उपयोग ने, एसटीआर और आरटीआर में फसल के नुकसान[28] में योगदान दिया, जिससे ग्रामीणों में गंभीर आक्रोश उत्पन्न हुआ। यहां तक कि बाघ अभयारण्यों की परिधि के 14 गांवों के 140 व्यक्तियों के संयुक्त सर्वेक्षण (जनवरी 2022) में 90 व्यक्तियों ने बताया कि वन्यजीवों द्वारा उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

संयुक्त भौतिक सत्यापन से भी यह पता चला कि आरटीआर के फलौदी और कुशलपुरा चौकी में विभिन्न स्थानों पर बाड़ टूटी हुई थीं, जो मवेशियों को चरने के लिए बाघ अभयारण्य में प्रवेश करने के लिए जगह प्रदान करती थीं।

- बाघ अभयारण्य की कुल भूमि 2,72,938.18 हेक्टेयर में से विभाग के नाम 60,502.54 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरण 31 मार्च 2023 तक लंबित था, जिसका मुख्य कारण 48,936.10 हेक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण नहीं करना, 1,321.68 हेक्टेयर खातेदारी भूमि[29]

[26] आरटीआरः 1,034.49 किमी, एसटीआरः 761.52 किमी और एमएचटीआरः 340 किमी।

[27] आरटीआरः 776.72 किमी, एसटीआरः 727.17 किमी और एमएचटीआरः 279.71 किमी।

[28] वन्यजीवों के कारण फसल की क्षति।

[29] खातेदार सरकारी भूमि पर काश्तकार होते हैं जिन्हें कृषि प्रयोजन के लिए भूमि दी जाती है। खातेदार के नाम पर नामान्तरित भूमि को खातेदारी भूमि कहा जाता है।

के नामान्तरण पर कोई कार्रवाई नहीं करना आदि है। विवरण **तालिका 4.9** में दिया गया है।

तालिका 4.9: 31 मार्च 2023 तक बाघ अभ्यारण्यों में भूमि के नामान्तरण की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

बाघ अभयारण्य का नाम	कुल आरक्षित भूमि	अप्रैल 2016 तक लंबित नामान्तरण	2016-23 के दौरान नामान्तरण	मार्च 2023 तक लंबित नामान्तरण	सर्वेक्षण नहीं की गई भूमि	खतेदारी भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
एसटीआर	97,344.55	57,155.81	8,254.48	48,901.33	43,285.35	-
आरटीआर	92,906.15	13,223.59	6,664.92	6558.67	1047.87	996.04
एमएचटीआर	82,687.48	5,087.99	45.45	5042.54	4,602.88	325.64
योग	**2,72,938.18**	**75,467.39**	**14,964.85**	**60,502.54**	**48,936.10**	**1,321.68**

स्रोतः वन विभाग।

वन भूमि के सीमांकन एवं नामान्तरण में विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने तथा वन भूमि को सुरक्षित करने में विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, 31 मार्च 2023 तक आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 320.29 हेक्टेयर भूमि पर 253 परिवारों द्वारा अतिक्रमण किया गया। यह अतिक्रमण मुख्य रूप से बाघ अभयारण्यों के अंदर/आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों द्वारा कृषि से संबंधित था। विवरण **तालिका 4.10** में दिया गया है।

तालिका 4.10: 2016-23 के दौरान अतिक्रमण की स्थिति

बाघ अभयारण्य का नाम	अतिक्रमण (1 अप्रैल 2016)		2016-23 के दौरान नए अतिक्रमण		2016-23 के दौरान हटाए गए अतिक्रमण		अतिक्रमण (31 मार्च 2023)	
	परिवार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	परिवार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	परिवार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	परिवार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आरटीआर	67	257.78	95	349.40	15	314.28	129	284.47
एसटीआर	8	9.97	105	22.29	23	5.45	90	26.81
एमएचटीआर	0	0	38	10.12	4	1.11	34	9.01
योग	**75**	**267.75**	**238**	**381.81**	**42**	**320.84**	**253**	**320.29**

स्रोतः वन विभाग।

इस प्रकार, विभाग अपने बाघ अभयारण्यों के क्षेत्र को सीमांकन एवं भूमि अपने नाम पर नामान्तरण के माध्यम से सुरक्षित नहीं कर सका, जिससे बाघ अभयारण्यों की सुरक्षा से समझौता हुआ और अतिक्रमण, फसल नुकसान और मवेशी चराई आदि को बढ़ावा मिला। इस मुद्दे को पहले भी सीएजी की वर्ष 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 05 में दर्शाया गया था। जन लेखा समिति ने वन भूमि के नामान्तरण के लिए राजस्व विभाग के समन्वय के साथ कार्रवाई शुरू करने तथा अतिक्रमण के प्रकरणों के निपटान के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की योजना से सूचित करने की अनुशंसा की।

राज्य सरकार ने टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2022 एवं दिसंबर 2024) कि शेष क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन आगामी वर्षों में किया जाना प्रस्तावित था तथा अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।

(iii) बाघ अभयारण्यों के अंदर एवं आसपास खनन की रोकथाम

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अंतर्गत वन क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध है तथा राजस्थान राज्य वन नीति, 2010 में प्रावधान है कि वन क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र लागू किया जाना चाहिए, जिसमें उपग्रह चित्रों का उपयोग तथा खनन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण शामिल है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के अंदर और आसपास खनन गतिविधियों पर रोकथाम सुनिश्चित नहीं कर सका, जिसका मुख्य कारण अधिकांश क्षेत्रों में स्पष्ट सीमा सीमांकन तथा सीमा स्तंभों का अभाव है। इस संबंध में विशिष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण निम्नानुसार है:

- राज्य वन्यजीव मण्डल (एसबीडब्ल्यूएल) ने सभी बाघ अभयारण्यों में अवैध खनन का प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण करने और खान विभाग के साथ जानकारी साझा करने के निर्देश (जनवरी 2015) जारी किए। हालांकि, अवैध खनन मामलों की सूची तैयार कर एमएचटीआर द्वारा सीसीएफ (वन्यजीव), जयपुर को प्रस्तुत की गई (मई 2015)। इसके अलावा, आरटीआर और एसटीआर में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

- राज्य वन्यजीव मण्डल ने निर्देश दिया (अक्टूबर 2015) कि बाघ अभयारण्यों में सभी अवैध खनन, विशेष रूप से उलियाना गांव के पास, कुंडेरा रेंज, आरटीआर में जिला प्रशासन को शामिल करके रोका जाना चाहिए। हालांकि, विभाग ने इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और अवैध खनन को रोकने के लिए कोई संयुक्त कार्रवाई किए बिना केवल जिला प्रशासन के साथ नियमित पत्राचार किया। परिणामस्वरूप, कुंडेरा रेंज, आरटीआर के उलियाना और भदलाव क्षेत्र के साथ-साथ खावा खंडोज, बस्सो और श्यामपुरा डूंगरी गांव क्षेत्रों में कई वर्षों से चल रहे चिनाई पत्थर के अवैध खनन को नहीं रोका जा सका।

- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया (अगस्त 2006) और राजस्थान सरकार के वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिया (मार्च 2015) कि बाघ अभयारण्य से एक किलोमीटर की सीमा के भीतर कोई खनन गतिविधि नहीं होगी।

  तथापि, यह पाया गया कि 2016-23 के दौरान एसटीआर के मुख्य क्षेत्र के एक किलोमीटर के भीतर 47 खनन पट्टे संचालित थे। इसी तरह, रावतभाटा, तालेरा और लाडपुरा में एमएचटीआर के मुख्य क्षेत्र से एक किलोमीटर के भीतर सैंडस्टोन के 14 खनन पट्टे संचालित थे। वन विभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए खान विभाग के उच्चतर स्तर पर इस मुद्दे को नहीं उठाया। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी और गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एसटीआर और एमएचटीआर के मुख्य क्षेत्र में और उसके आस-पास खनन गतिविधियों को दर्शाने वाली उदाहरणार्थ तस्वीरें नीचे दी गई हैं:

चित्र 4.3: राजस्थान सरकार के निर्देश से पहले एसटीआर में और उसके आसपास खनन (चित्र की समय सीमा: नवंबर 2015)

चित्र 4.4: राजस्थान सरकार के निर्देश के बाद एसटीआर के भीतर और आसपास खनन (चित्र की समय सीमा: दिसंबर 2022)

चित्र 4.5: राजस्थान सरकार के निर्देश से पहले एमएचटीआर के आसपास खनन (चित्र की समय सीमा: मई 2016)

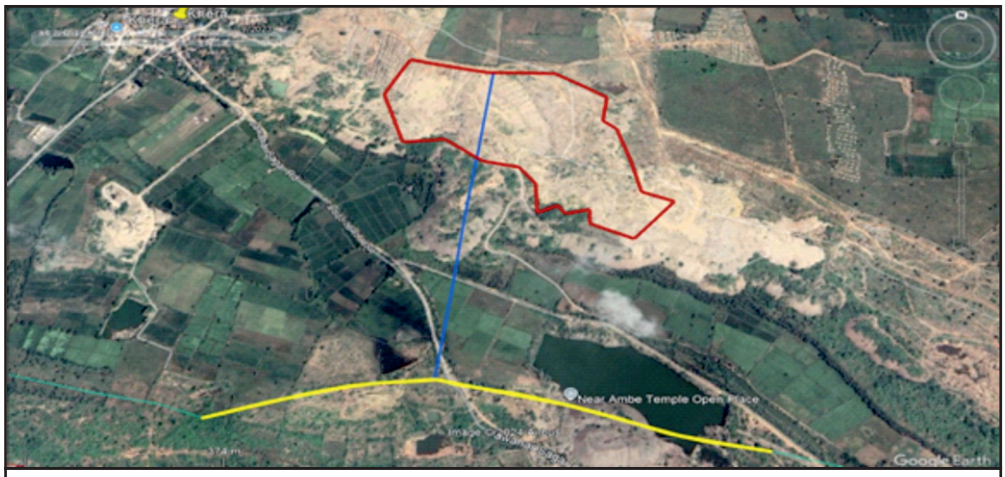

चित्र 4.6: राजस्थान सरकार के निर्देश के बाद एमएचटीआर के आसपास खनन (चित्र की समय सीमा: सितंबर 2023)

मुख्य क्षेत्र के बाहर खनन | मुख्य क्षेत्र के अंदर खनन | मुख्य क्षेत्र | मुख्य क्षेत्र सीमा से दूरी

इस अनियमित खनन से बाघ अभयारण्य के आस-पास के संवेदनशील क्षेत्रों और वन्यजीवों की आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस मुद्दे को पूर्व में सीएजी की 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 में उजागर किया गया था।

इसके बाद, दिसंबर 2024 में सरकार ने उत्तर दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मई 2024 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में एक किलोमीटर के भीतर खनन गतिविधियों को रोक दिया गया है।

(iv) मानवजनित गतिविधियाँ

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वन्यजीव के प्राकृतिक आवास को नष्ट, नुकसान या अन्यत्र नहीं ले जाएगा, सिवाय इसके कि वह सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू द्वारा दिए गए अनुज्ञा के अनुसार हो। इसके अलावा, यह भी प्रावधान किया गया है कि बाघ संरक्षण के उद्देश्य से बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों को अखण्ड रखा जाना चाहिए।

इस संबंध में, यह पाया गया कि विभाग ने अपने बाघ रिजर्वों में मानवजनित गतिविधियों का विनियमन सुनिश्चित नहीं किया है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- सभी बाघ अभयारण्यों के टीसीपी ने उद्यान में धार्मिक स्थलों के लिए तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिसका मुख्य कारण वाहनों और तीर्थयात्रियों की अनियंत्रित आवाजाही है, जो शिकारियों को वन्यजीव अपराध करने के लिए जंगल में प्रवेश करने का अवसर भी प्रदान करती है।

तथापि, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 565 धार्मिक स्थल[30] थे, जिनमें एसटीआर में पांडुपोल, आरटीआर में गणेश मंदिर, एमएचटीआर में गरडिया महादेव शामिल थे। ये स्थल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं, जिसके लिए उनके प्रबंधन का कोई उचित तंत्र विकसित नहीं किया गया। इसके अलावा, किसी भी बाघ अभयारण्य में वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर तीर्थयात्रियों के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया, जिसके कारण वन्यजीवों पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए निवारक उपाय नहीं किए जा सके।

- राजस्थान वन अधिनियम, 1953 मुख्य रूप से मानव-वन्यजीव संघर्षों से बचने के लिए आरक्षित वन में मवेशियों के चरने पर प्रतिबंध लगाता है। तथापि, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के टीसीपी के अनुसार, बाघ अभयारण्यों के भीतर स्थित गाँवों में रहने वाले लोगों के पास बड़ी संख्या में घरेलू पशुधन थे। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मवेशी एसटीआर (विशेष रूप से जल बिंदुओं के पास), आरटीआर (सेलदार नीमली विश्राम गृह, कुशालपुरा चौकी के पास, फलौदी रेंज) एवं एमएचटीआर (जवाहर सागर, बोरावास रेंज) के अंदर चर रहे थे। बाघ अभयारण्यों में अनियंत्रित चराई मुख्य रूप से बाघ अभयारण्यों के भीतर स्थित गांवों के गैर-विस्थापन जैसा कि **अनुच्छेद 4.3.8.7** (i) में चर्चा की गई है, कई स्थानों पर टूटी हुई चारदीवारी/ बाड़ जैसा कि **अनुच्छेद 4.3.8.4** (ii) में चर्चा की गई है, के कारण थी जिससे मवेशियों को चरने के लिए उद्यान में प्रवेश करने में और सुविधा हुई।

चित्र 4.7: एसटीआर में घरेलू मवेशी (जुलाई 2021)

इस प्रकार, विभाग ने अपने बाघ अभयारण्यों में विभिन्न मानवजनित गतिविधियों जैसे तीर्थयात्रियों की आवाजाही, दुकानों और कियोस्कों का संचालन, अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां, घरेलू मवेशियों का चरना आदि का विनियमन सुनिश्चित नहीं किया, जिससे प्राकृतिक आवास प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

दिसंबर 2024 में सरकार ने उत्तर दिया कि मानवजनित गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के

[30] आरटीआरः 242, एसटीआरः 308 और एमएचटीआरः 15

लिए, एसटीआर प्रशासन द्वारा गांवों के पुनर्वास की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। एसटीआर के लिए ई-वाहन और शटल बस सेवा के क्रियान्वयन पर विचार किया जा रहा है। आरटीआर के आसपास मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा गणेश धाम स्थित 42 कियोस्कों/दुकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा का मानना है कि वन विभाग को वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए मानवजनित गतिविधियों को कम करने हेतु अन्य विभागों (जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग) के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

(v) बाघ अभयारण्यों में पारिस्थितिकी पर्यटन

पारिस्थितिकी पर्यटन प्राकृतिक क्षेत्रों की जिम्मेदार यात्रा है जो पर्यावरण को संरक्षित करता है और स्थानीय लोगों के जीवन में सुधार करता है, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व एवं संवेदनशीलता के बारे में बड़े पैमाने पर जनता में जागरूकता बढ़ाता है।

तथापि, राज्य के बाघ अभयारण्यों में पर्यटन गतिविधियों के प्रबंधन की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित पाया गया:

- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017-31 में प्रभाव आकलन तकनीक और मानक विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग वन्यजीव प्रबंधकों द्वारा मिट्टी, जल संसाधन, वनस्पति, पशु जीवन, स्वच्छता, सांस्कृतिक पर्यावरण आदि पर पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में, 2016-23 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में पर्यटकों का विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.11: आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में पर्यटकों का विवरण

वर्ष	आरटीआर	एसटीआर	एमएचटीआर
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-17	4,69,850	52,205	लागू नहीं
2017-18	4,90,942	50,265	32,465
2018-19	4,61,899	46,333	73,943
2019-20	4,35,386	48,547	84,549
2020-21	1,93,092	41,375	34,241
2021-22	3,59,059	51,069	69,796
2022-23	5,53,519	56,183	94,548

स्रोत: वन विभाग।

यद्यपि, एसटीआर एवं आरटीआर[31] के टीसीपी ने वाहनों की अधिकतम संख्या क्रमशः 35 और 140 निर्धारित की थी, लेकिन किसी भी बाघ अभयारण्य में पर्यटन गतिविधियों के

[31] एमएचटीआर में कोई सफारी नहीं थी।

प्रभाव का आकलन और मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए कोई प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

बाघ अभयारण्यों में पर्यटन को विनियमित करने और पर्यटक वाहनों की आवाजाही की निगरानी करने के लिए, पीसीसीएफ एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू (सितंबर 2016) और राज्य सरकार (दिसंबर 2019) ने बाघ अभयारण्य में प्रवेश करने वाले प्रत्येक पर्यटक वाहन में जीपीएस उपकरण लगाने का निर्देश दिया था। हालाँकि, 31 मार्च 2023 तक आरटीआर में 557 पर्यटक वाहनों में जीपीएस लगा दिया गया था, लेकिन जीपीएस के माध्यम से उनकी निगरानी चालू नहीं थी।

- एनटीसीए (पर्यटन गतिविधियों और बाघ परियोजना के लिए मानदण्ड सम्बन्धी मानक) दिशा-निर्देश, 2012 में कहा गया कि प्रदूषण को कम करने के लिए बाघ अभयारण्यों में बैटरी से चलने वाले वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हालाँकि, आरटीआर और एसटीआर ने अब तक (मार्च 2024) किसी भी बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहन को शुरू करने की व्यवहार्यता का पता नहीं लगाया है।

पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, 2018 में वन्यजीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों के उपयोग के लिए व्याख्या केंद्र, पोस्टर तथा प्रदर्शनी सामग्री स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। तदनुसार, विभाग ने एक व्याख्या केंद्र आरटीआर मुख्य क्षेत्र में, एक व्याख्या केंद्र एसटीआर (2012) में और एक[32] व्याख्या केंद्र एमएचटीआर (2019-20) में स्थापित किया।

चित्र 4.8: एसटीआर में व्याख्या केंद्र (दिसंबर 2021)

- हालांकि, स्टाफ एवं बुनियादी ढांचे की कमी के कारण आरटीआर और एमएचटीआर के व्याख्या केंद्र चालू नहीं थे, जिनमें से आरटीआर के व्याख्या केंद्र का इस्तेमाल दो पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा, एसटीआर के व्याख्या केंद्र का रखरखाव समुचित रूप से नहीं किया गया था, क्योंकि क्षतिग्रस्त संरचना, चित्रकारियां, प्रतिरूप, प्लास्टर, लकड़ी का काम आदि की मरम्मत नहीं की गई थी। इससे व्याख्या केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया।

[32] जवाहर सागर रेंज में गरडिया महादेव पर।

सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि पर्यटन गतिविधियों के प्रभाव मूल्यांकन को शोध के लिए एक विषय के रूप में चुना गया है और 2022 में जीपीएस निगरानी प्रारंभ की जाएगी। उत्तर में (दिसंबर 2024) यह सूचित किया गया कि अभयारण्य क्षेत्र में पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन के आयोजन के लिए बीएस VI वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विभाग को बाघ अभयारण्यों में पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपने प्रस्तावों के कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है।

4.3.8.5 आक्रामक प्रजातियों का उन्मूलन न करना

आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के टीसीपी ने प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (विलायती बबूल)[33], लैंटाना आदि को प्रमुख आक्रामक विदेशी प्रजातियों के रूप में पहचाना, जो अवांछनीय खरपतवार हैं जिनका वन्यजीवों के लिए बहुत कम महत्व है और जो सभी उपलब्ध प्राकृतिकवासों पर आक्रमण करते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31) में बाघ अभयारण्यों के अंदर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की गई, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण अवांछनीय प्रभावों के साथ जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं।

इस संबंध में, यह देखा गया कि विभाग ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों को हटाने के लिए कोई दीर्घकालिक नीति तैयार नहीं की। इसके अलावा, आरटीआर और एमएचटीआर में आक्रामक प्रजातियों को हटाने के लिए क्षेत्र का आकलन नहीं किया गया, जिसके कारण उन्मूलन के लक्ष्य तदर्थ आधार पर निर्धारित किए गए। हालांकि, विभाग ने 2016-23 के दौरान एसटीआर में विदेशी प्रजातियों के उन्मूलन के लिए 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र का आकलन किया, परन्तु इसके लिए केवल 600 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया, जो कि निर्धारित क्षेत्र से बहुत कम था। विभाग 2016-23 के दौरान आरटीआर और एमएचटीआर में निर्धारित लक्ष्य भी हासिल नहीं कर सका, जिससे भौतिक लक्ष्यों की तुलना में 14.54 प्रतिशत तथा वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में 18.21 प्रतिशत की कमी रह गई, जैसा कि नीचे **तालिका 4.12** में विस्तार से बताया गया है।

तालिका 4.12: आक्रामक विदेशी प्रजातियों को हटाने के लक्ष्य और प्राप्तियां (2016-23)

बाघ अभयारण्य का नाम	आकलित क्षेत्र (हेक्टेयर)	लक्ष्य		प्राप्ति		कमी (प्रतिशत में)	
		भौतिक (हेक्टेयर)	वित्तीय (₹ लाख में)	भौतिक (हेक्टेयर)	वित्तीय (₹ लाख में)	भौतिक (हेक्टेयर)	वित्तीय (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(3)*100	(8)=(6)/(4)*100
आरटीआर	-	151.00	110.00	97.00	86.33	35.76	21.52
एमएचटीआर	-	653.30	208.75	480.63	154.77	26.43	25.86
एसटीआर	5,000	600.00	110.00	622.50	109.56	-	0.40
योग	**5,000**	**1,404.30**	**428.75**	**1,200.13**	**350.66**	**14.54**	**18.21**

स्रोतः वन विभाग।

[33] जूलीफ्लोरा का वनों पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें देशी वनस्पति समुदायों का विस्थापन, वृक्षों की विविधता में कमी, पौधों की वृद्धि में बाधा, पौधों की ऊंचाई और तने के व्यास में कमी, आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव आदि शामिल हैं।

लक्ष्य प्राप्ति में कमी का कारण वार्षिक कार्य योजना में आक्रामक प्रजातियों को हटाने के लिए बहुत कम क्षेत्र की योजना बनाना आदि था। इस प्रकार, बाघ अभयारण्यों में आक्रामक विदेशी प्रजातियों को हटाने के लिए किए गए प्रयास इस समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिससे प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि आरटीआर में आक्रामक प्रजातियों का उन्मूलन करके चरागाह विकास कार्य किया जा रहा है। एमएचटीआर के लिए एक एकीकृत आक्रामक प्रजाति उन्मूलन योजना प्रक्रियाधीन है।

4.3.8.6 अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं

आग वनों के प्रमुख विनाशकारी कारकों में से एक है। राजस्थान में अधिकांश वन की आग ज़मीनी होती हैं, जो सामान्यतः वन के वृक्षों की फसल को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन इससे वनों की सघनता कम हो जाती हैं और अमूल्य वन्यजीव प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। तदनुसार, राजस्थान वन नीति में यह परिकल्पना की गई है कि वन की आग को रोकने के लिए, नियमित अंतराल पर वन क्षेत्रों में अग्नि रेखाएँ बनाने और संधारित रखने की आवश्यकता है, जिसके लिए कर्मचारियों को आधुनिक गैजेट दिए जाएंगे।

वर्ष 2016-23 के दौरान, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 3,650.68 हेक्टेयर क्षेत्र में आग लगने के 105 मामले दर्ज किए गए, जिसमें एसटीआर के 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बड़ी आग लगने की घटना (27 मार्च 2022) भी शामिल है। इस संबंध में, यह पाया गया कि वर्ष 2016-23 के दौरान बाघ अभयारण्यों में आग से सुरक्षा के इंतजाम अपर्याप्त थे, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- किसी भी बाघ अभयारण्य में आग की आशंका वाले क्षेत्र का आकलन नहीं किया गया, जिसके कारण उपलब्ध नहीं थे।
- पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए आर.टी.आर.-II को छोड़कर किसी भी बाघ अभयारण्य में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए।
- 2016-23 के दौरान विभाग ने अग्नि रेखाओं से संबंधित कार्यों के लिए आवंटित ₹ 3.05 करोड़ में से केवल ₹ 1.92 करोड़ का ही उपयोग किया।
- आग से बचाव के लिए आरटीआर-I और एसटीआर में अग्नि पहरेदार, अग्नि योद्धा, बीटर्स की तैनाती नहीं की गई। इसके अलावा, 2017-21 के दौरान आरटीआर-II में अग्नि पहरेदार, अग्नि योद्धा, बीटर्स के लिए बजट आवंटित नहीं किया गया।

आग की आशंका वाले क्षेत्रों का आकलन न करना, अग्निशमन और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता यह इंगित करती है कि बाघ अभयारण्य वनों की आग के प्रति सतर्क नहीं थे। इस मुद्दे को पूर्व में सीएजी की 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 05 में उजागर किया गया था, तथापि, विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

सरकार ने बताया (नवंबर 2022) कि समीक्षाधीन संरक्षित क्षेत्र राज्य के दक्षिणी भागों की

तुलना में कम आग प्रवृत्त है। इसके पश्चात, यह उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि रेंज स्तर पर अग्निशमन उपकरण दिए गए हैं, जंगल की आग को रोकने के लिए अग्नि रेखा बनाई गई है और समय-समय पर क्षेत्रीय कार्मिकों को अग्निशमन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वर्तमान में, अभयारण्य क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा के लिए अग्नि रेखाएं स्थापित की जा रही हैं और अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

निष्कर्ष

2016 से 2023 की अवधि के बीच विभाग द्वारा वन्यजीव संरक्षण और बाघ संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण कमियाँ रहीं। विभाग वन्यजीवों के अवैध शिकार को नहीं रोक सका, जिसके कारण शिकार से चार बाघों की मौत हो गई। इसके अलावा, महत्वपूर्ण बाघ कॉरीडोर को विकसित करने में विफलता, विशेष रूप से आरटीआर 1 और 2 के बीच, के परिणामस्वरूप भीड़भाड़ और क्षेत्रीय संघर्ष के कारण दस बाघों की मौत हो गई।

विभाग द्वारा 2016-2023 के दौरान खराब वित्तीय प्रबंधन, अपर्याप्त सुरक्षा उपाय और अप्रभावी मानवबल प्रबंधन किया गया। ₹ 539.59 करोड़ के आवंटन के बावजूद, ₹ 344.06 करोड़ का उपयोग किया गया। प्रभावी गश्ती योजनाओं की अनुपस्थिति, पर्याप्त कर्मचारियों की कमी एवं अपर्याप्त सुविधाओं के कारण वन्यजीव सुरक्षा से समझौता किया गया। कार्मिकों की कमी को दूर करने एवं पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने में विभाग की अक्षमता के परिणामस्वरूप वन रक्षकों पर बड़े क्षेत्रों की निगरानी का बोझ बढ़ गया।

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों का पालन न करने से स्थिति और खराब हो गई, विशेष रूप से एसटीआर के आसपास, जहां अभयारण्य के निकट खनन जारी रहा।

बाघ अभयारण्यों को सुरक्षित रखने एवं उनका प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण विफलताएँ रहीं, जिससे संरक्षण प्रयासों को ख़तरा उत्पन्न हुआ। विभाग ने बाघ अभयारण्यों के लिए भूमि का पर्याप्त रूप से सीमांकन और सुरक्षा नहीं की, जिसके कारण अतिक्रमण, फसल क्षति और मवेशी चरने की घटनाएँ हुईं। विभाग अभयारण्यों के पास अवैध खनन को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा, जिससे वन्यजीवों एवं आस-पास के पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा था। विभाग के पास आक्रामक प्रजातियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक नीति का भी अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त प्रयास किए गए।

अनुशंसाएं

सरकार/विभाग निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- *अवैध शिकार पर रोक लगाकर बाघों की मृत्यु दर को कम करने के लिए एसटीएफ की स्थापना जैसी ठोस कार्रवाई करना।*
- *क्षेत्रीय संघर्षों से बचने के लिए, आवश्यक गतिविधियों को अंजाम देकर कॉरीडोर के विकास के लिए प्रभावी कार्यवाही करना।*
- *बाघ अभयारण्यों में पर्याप्त पशु चिकित्सा कार्मिकों एवं गश्ती कार्मिकों के पदस्थापन के लिए कार्रवाई करना।*
- *बाघ अभयारण्यों की सीमाओं का स्तंभों, दीवारों या बाड़ का उपयोग करके निर्दिष्ट समय सीमा में सीमांकन करना तथा सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।*
- *पर्याप्त वित्त पोषण के साथ आक्रामक प्रजातियों के आकलन और उन्मूलन के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करना।*

4.3.8.7 गांवों का विस्थापन एवं पुनर्वास

लेखापरीक्षा का दूसरा उद्देश्य यह देखना है कि क्या गांवों के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं।

इस उद्देश्य के तहत लेखापरीक्षा में गांवों के विस्थापन और पुनर्वास के लिए किए गए प्रयासों में सर्वेक्षण में देरी, पुनर्वास के लिए भूमि की मंजूरी में देरी, निगरानी में कमी जैसी कमियां पाई गईं ।

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 में प्रावधान किया गया था कि बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्र के अंदर के गांवों का विस्थापन और पुनर्वास स्वैच्छिक रूप से या समझाइश द्वारा किया जाना चाहिए। एनटीसीए के दिशा-निर्देश (2007) में निर्धारित किया गया था कि बाघ अभयारण्यों से ग्रामीणों का विस्थापन क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के भीतर किया जाना चाहिए। बाघ अभयारण्यों से गांवों के विस्थापन और पुनर्वास से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी अनुच्छेदों में विस्तार से बताया गया है:

(i) बाघ अभयारण्यों से गांवों का विस्थापन

आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर[34] के मुख्य क्षेत्र के अंदर 108 गांव[35] (अप्रैल 2013

[34] एमएचटीआर के मुख्य क्षेत्र के 14 गांवों को 2015-16 से चरणबद्ध तरीके से विस्थापित करना प्रस्तावित किया गया था।

[35] आरटीआर-66 गांव, एसटीआर-28 गांव एवं एमएचटीआर-14 गांव।

तक) थे, जिन्हें विस्थापित किया जाना था। तदनुसार, विभाग ने एनटीसीए को 31 मार्च 2014 तक की समय-सीमा के साथ आरटीआर से 66 गांवों और 31 मार्च 2016 तक की समय-सीमा के साथ एसटीआर से 28 गांवों की वर्ष-वार विस्थापन योजना प्रस्तुत की, इसके अतिरिक्त एमएचटीआर में 14 गांवों को 2015-16 से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से विस्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया।

हालांकि, उपरोक्त प्रस्ताव के विरुद्ध विभाग ने केवल 31 गांवों[36] की वर्षवार विस्थापन योजना बनाई, जिसमें से 20 गांवों के विस्थापन को एनटीसीए द्वारा मंजूरी दी गई। इसके बाद 18 और गांवों को मंजूरी दी गई तथा विस्थापन के लिए लिया गया (2014-23)।

इस प्रकार, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के मुख्य क्षेत्रों से 108 गांवों के लंबित विस्थापन के मुकाबले विभाग ने केवल 49 गांवों (31+18) के विस्थापन की योजना बनाई, जिसके मुकाबले विभाग 31 मार्च 2023 तक 15 गांवों को पूरी तरह से और 17 गांवों को आंशिक रूप से विस्थापित कर सका। यह विस्थापन प्रक्रिया में बहुत धीमी प्रगति को दर्शाता है, जिसके लिए विस्तृत कारण **अनुच्छेद 4.3.8.7** (ii) **और** (iii) में शामिल हैं। 2016-23 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर से गांवों के विस्थापन की स्थिति **तालिका 4.13** में दी गई है।

तालिका 4.13: 2016-23 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर से गांवों के विस्थापन की स्थिति

बाघ अभयारण्य	अधिसूचना माह	कुल गाँव	31 मार्च 2016 तक लंबित विस्थापन (गांव/परिवार)	2016-23 के दौरान विस्थापित हुए गांव (गांव/परिवार)	31 मार्च 2023 तक लंबित विस्थापन (गांव/परिवार)	विस्थापन की प्रक्रिया में गांव (31 मार्च 2023 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आरटीआर	दिसंबर 2007	66	60/ 8,025	3/ 373	57/ 7,652	9
एसटीआर	दिसंबर 2007	28	26/ 4,629	2/ 269	24/ 4,360	6
एमएचटीआर	अप्रैल 2013	14	14/ 1,585	2/ 175	12/ 1,410	2
योग		**108**	**100/ 14,239**	**7[37]/ 817**	**93/ 13,422**	**17[38]**

स्रोतः वन विभाग।

परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2023 तक, बाघ अभयारण्यों की अधिसूचना की तारीख से 10 से 15 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के बाद भी 93 गांवों (100-7) का विस्थापन लंबित था।

इसके अलावा, गांवों के कम विस्थापन के कारण, 2016-23 के दौरान गांव विस्थापन के लिए कुल आवंटित ₹ 283.57 करोड़ की निधियों में से विभाग द्वारा केवल ₹ 107.73 करोड़ का ही उपयोग किया जा सका। गांवों के विस्थापन की धीमी गति के कारण बाघ अभयारण्यों के

[36] आरटीआर-19 गांव एवं एसटीआर-12 गांव।

[37] गढ़ी, पानीढ़ाल, डाबली एवं लक्ष्मीपुरा, कठुली, काला खोहरा एवं खरली बावड़ी।

[38] आरटीआर- कालीभाट, हिंदवाड़, मुंदेरहेड़ी, बेराई भीमपुरा, डांगरा, ऊंची गवाड़ी, चोडक्याकलां, मरमदा एवं चोडक्याखुर्द, एसटीआर- सुकोला, क्रास्का, देवरी, कांकवाड़ी, लोज नाथूसर एवं हरिपुरा, एमएचटीआर- घाटीगांव एवं मसालपुरा।

अंदर घरेलू मवेशियों द्वारा अनियंत्रित चराई और वन्यजीवों द्वारा फसलों की क्षति हुई, जैसा कि अनुच्छेद **4.3.8.4** (ii) में चर्चा की गई है।

(ii) गांवों के विस्थापन में प्रयासों की कमी

विभाग ने आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के मुख्य क्षेत्रों से गांवों का विस्थापन सुनिश्चित नहीं किया, जैसा कि पूर्ववर्ती **अनुच्छेद 4.3.8.7** (i) में चर्चा की गई है। गांवों के कम विस्थापन और पुनर्वास के मुख्य कारण विभाग द्वारा प्रयासों की कमी थी, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- **पुनर्वास के लिए भूमि की मंजूरी में देरी:** डीसीएफ, एमएचटीआर ने 14 गांवों के 1,589 परिवारों के विस्थापन के लिए ₹ 251.63 करोड़ मुआवजे और 2,263 भूखंडों के आवंटन के लिए वित्त पोषण की स्वीकृति का प्रस्ताव (नवंबर 2017) दिया, जिसके लिए गांव के पुनर्वास के लिए लखावा में 100 हेक्टेयर वन भूमि के लिए एनटीसीए द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति (अगस्त 2018) दी गई थी। हालांकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अंतिम स्वीकृति छः साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी (दिसंबर 2024) लंबित थी, जिसका मुख्य कारण सैद्धांतिक स्वीकृति में शामिल निर्धारित शर्तों[39] का पालन न करना एवं राज्य सरकार के स्तर पर अंतिम प्रस्ताव का लंबित होना था।

- **निगरानी में कमी:** विस्थापन प्रक्रिया की निगरानी एवं कार्यान्वयन राज्य स्तर पर एसएलएमसी द्वारा हर छः महीने में एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति (डीएलआईसी) द्वारा हर तिमाही में किया जाना आवश्यक था। 2016-23 के दौरान न्यूनतम 14 एसएलएमसी बैठकों की आवश्यकता के मुकाबले पाँच बैठकें आयोजित[40] की गईं और 112 डीएलआईसी बैठकों की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले तीन बाघ अभयारण्यों में 55 बैठकें आयोजित की गईं। कम बैठकें आयोजित करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। राज्य एवं जिला स्तर पर अपर्याप्त निगरानी ने राज्य के बाघ अभयारण्यों में विस्थापन प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित और धीमा कर दिया, क्योंकि विस्थापन के लिए शहरी पैकेज प्रदान करने, एफडी और सीसीएफ द्वारा भूमि उपलब्धता को प्राथमिकता देने, विस्थापन के लिए सर्वेक्षण करने आदि से संबंधित एसएलएमसी द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी नहीं की जा सकी। अक्टूबर 2019 में आयोजित जन लेखा समिति बैठक के दौरान सरकार ने उत्तर दिया कि नियमित बैठकें आयोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि, उपरोक्त पैरा में उल्लिखित तथ्य यह दर्शाते हैं कि बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही थीं।

---

[39] जिला स्तर, उप-मंडल स्तर एवं ग्राम सभा स्तर का अनुमोदन।

[40] 19 मई 2016, 12 अप्रैल 2018, 28 मई 2019, 10 जनवरी 2022 एवं 22 अप्रैल 2022।

(iii) सर्वेक्षण आयोजित करना

राजस्थान राज्य विस्थापन पैकेज (2002) में प्रावधान किया गया था कि बाघ अभयारण्यों से विस्थापित किये जाने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

तथापि, विभाग ने दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराना सुनिश्चित नहीं किया जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- **सर्वेक्षण में देरी:** विभाग ने आरटीआर-II के दस गांवों[41] में सर्वेक्षण और विस्थापन प्रक्रिया शुरू नहीं की (दिसंबर 2024), जबकि इन गांवों के परिवार विस्थापन के लिए तैयार थे, और इसके लिए आरटीआर उद्यान प्रबंधक ने सीसीएफ से अनुरोध किया था (2016-17 से)। सर्वेक्षण एवं विस्थापन प्रक्रिया शुरू नहीं करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

  एमएचटीआर के 14 गांवों में से केवल तीन[42] में ही सर्वेक्षण (2014 से 2019) किए गए, जिनमें से दो गांवों के लिए सर्वेक्षण समितियां गठित की गईं। इसके अलावा, सर्वेक्षण करने में समय अंतराल के कारण, मुख्य रूप से परिवार की संरचना में बदलाव के कारण पहचाने गए परिवारों की संख्या में विसंगतियां थीं।

  इसके अलावा, एमएचटीआर के पांच[43] गांवों के लिए गांव विस्थापन प्रस्ताव जुलाई 2011 के दौरान बिना वास्तविक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए गए थे परिणामस्वरूप कोई निधि स्वीकृत नहीं की गई। इसके अलावा, 2016-21[44] के दौरान वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित पांच[45] गांवों के विस्थापन के लिए ₹ 104.10 करोड़ के सीएसएस फंड के प्रस्ताव के विरुद्ध एनटीसीए द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई।

- **संयुक्त सर्वेक्षण:** लेखापरीक्षा ने (सितंबर 2021 से जनवरी 2022 तक) विभाग के अधिकारियों के साथ 10[46] गांवों के 112 परिवारों का, जिन्हें विस्थापित किया जाना था और दो[47] गांवों के 38 परिवारो का, जिन्हें पुनर्वासित किया गया, का संयुक्त सर्वेक्षण किया था। विस्थापित किए जाने वाले गांवों के परिवारों के सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि 49 परिवार (पांच गांव) विस्थापन प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते थे, 85 परिवारों (आठ गांवों) ने पुष्टि की कि उनके गांव में सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा 51 परिवारों (छः गांवों) ने

---

41 आशाकी, हटियाकी, नोनियाकी, निभेरा, मुला का पुरा, बंदन का पुरा, पहाड़पुर, जोगपुरा, रावतपुरा एवं चोड़िया खाता।

42 लक्ष्मीपुरा एवं खरली बावड़ी (10.12.2014 से 14.12.2014) एवं घाटी जागीर (01.07.2019 से 31.07.2019)।

43 कोलीपुरा, रूपपुरा, गिरधरपुरा, खरली बावड़ी एवं लक्ष्मीपुरा।

44 वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए वार्षिक कार्य योजना में कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं की गई।

45 दर्रा, घाटी, मशालपुरा गिरधारीपुरा एवं लक्ष्मीपुरा।

46 आरटीआर-झिलकापुरा, अशाकी गुवाड़ी, हटियाकी, रसीलपुर, कालीभाट एवं भावपुर, एसटीआर-क्रास्का, राजोर मय मांडलवास, एमएचटीआर-घाटी जागीर एवं दामोदरपुरा।

47 आरटीआर-गणेश नगर एवं एसटीआर-तिज़ारा रुंध।

विस्थापन पैकेज राशि पर असंतोष व्यक्त किया।

इसके अलावा, विस्थापित गांवों के परिवारों के सर्वेक्षण से पता चला कि 38 परिवार पुनर्वास स्थल से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि या तो आवंटित भूमि राजस्व अभिलेखों में उनके नाम पर हस्तांतरित नहीं हुई थी या भूमि का रूपांतरण लंबित था। उन्होंने पुनर्वास स्थल पर बुनियादी सुविधाओं जैसे गैस कनेक्शन, उचित मूल्य की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र आदि की कमी का भी हवाला दिया।

इस प्रकार, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के आयोजन में देरी और विसंगतियों के कारण प्रभावित परिवारों में असंतोष उत्पन्न हुआ और विस्थापन प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2022) कि सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण तभी किए गए जब पर्याप्त संख्या में परिवारों ने विस्थापित होने की इच्छा जताई। इसके अलावा यह भी बताया गया कि विस्थापित लोगों के नाम पर भूमि का नामान्तरण एक सतत प्रक्रिया है एवं अन्य मुद्दों के समाधान के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिससे पुनर्वास की गति में वृद्धि हुई है।

यह भी बताया गया कि गांवों का विस्थापन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और गांवों को विस्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जब आरटीआर-II और एमएचटीआर में पर्याप्त संख्या में परिवारों ने विस्थापन के लिए इच्छा दिखाई, तब भी विभाग ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया।

(iv) बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन में स्थानीय सहभागिता की कमी

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन में स्थानीय सहभागिता पर जोर दिया। बाघ संरक्षण फाउंडेशन (टीसीएफ) और पारिस्थितिकी विकास समिति (ईडीसी) की भागीदारी के माध्यम से पारिस्थितिकी विकास में भागीदारी और बाघ अभयारण्यों के संरक्षण के लिए प्रबंधन में सहभागिता के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों पर नीचे चर्चा की गई है:

- 2016-21 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में शासी निकायों ने 26 बैठकों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 20 बैठकें कीं और कार्यकारी समिति ने 156 बैठकों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 21 बैठकें कीं। परिणामस्वरूप, टीसीएफ करौली अपनी बैठकों में लिए गए निर्णयों: वन्यजीव स्टेशन की स्थापना, अधिक मांग वाले क्षेत्रों के लिए प्रवेश शुल्क में वृद्धि, मवेशी मुआवजा, पुलिस तैनाती, चीतलों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रिक शटल बसें आदि का कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सका।

- राज्य सरकार ने वन्यजीवों की सुरक्षा और विकास के लिए प्रत्येक बाघ अभयारण्य के प्रत्येक गांव में ईडीसी गठित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए (अक्टूबर 2000)।

हालांकि, तीन बाघ अभयारण्यों के 356 गांवों के लिए 267 ईडीसी गठित की गयी, जिनमें से 126 ईडीसी (46.76 प्रतिशत) काम कर रही थी। इसके अलावा, एसटीआर की किसी भी ईडीसी द्वारा सूक्ष्म योजनाएं[48] तैयार नहीं की गईं, जबकि एमएचटीआर की ईडीसी द्वारा आंशिक योजनाएं तैयार की गईं। इसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि स्थानीय क्षेत्र और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप गतिविधियां संचालित की गईं।

सरकार ने बताया (नवंबर 2022) कि कोविड महामारी के बावजूद आरटीसीएफ की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गैर-कोविड अवधि के दौरान भी आरटीसीएफ की बहुत कम बैठकें आयोजित की गई थी।

- पीसीसीएफ एवं वित्त विभाग ने निर्देश दिए (जनवरी 2017 और अप्रैल 2018) कि ईडीसी द्वारा निष्पादित विभिन्न कार्यों का भुगतान नकद के बजाय सीधे संबंधित श्रमिकों के बैंक खाते में चेक/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्थानांतरित किया जावे।

सरिस्का और अकबरपुर रेंज की दस ईडीसी में वर्ष 2018-23 के दौरान ईडीसी के माध्यम से करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों पर ₹ 11.87 करोड़ खर्च किए गए, जिसका भुगतान विभाग ने ईडीसी के बैंक खाते में चेक के माध्यम से स्थानांतरित किया गया। ईडीसी ने यह भुगतान चेक के माध्यम से दल प्रमुख[49] के बैंक खाते में स्थानांतरित किया, जिसे आगे संबंधित मजदूरों को वितरित किया गया। हालांकि, मजदूरों को मजदूरी के वास्तविक भुगतान का विवरण न तो ट्रैक किया गया और न ही ईडीसी और विभाग के पास उपलब्ध था। यह पीसीसीएफ एवं वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन था, जिससे ईडीसी के सदस्यों को रोजगार सुनिश्चित करने में पारदर्शिता से भी समझौता हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि मजदूरों को भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है। हालाँकि, उत्तर के समर्थन में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार, विभाग यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि विकास कार्यों के लिए भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किया गया।

- आरटीआर के टीसीपी ने 2013-22 के लिए इसके मुख्य क्षेत्र के पास रहने वाले मोगिया, बावरिया और अन्य खानाबदोश जनजातियों की आजीविका, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक उत्थान और पुनर्वास के लिए बाघ परियोजना की वित्तीय सहायता से ₹ 17.62 करोड़ की अनुमानित लागत पर योजना प्रस्तावित की। हालांकि, विभाग ने वर्ष 2016-23 के लिए वार्षिक कार्य योजना में किसी भी बजट की मांग नहीं की। मोगिया बच्चों की छात्रावास सुविधाओं और शिक्षा के लिए रणथंभौर बाघ संरक्षण फाउंडेशन (आरटीसीएफ) द्वारा केवल ₹ 19.41 लाख की मामूली राशि खर्च की गई।

---

[48] ईडीसी को अपने क्षेत्र के लिए पारिस्थितिकी विकास और वन्यजीव संरक्षण योजना तैयार करनी थी, जिसे डीसीएफ द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

[49] मजदूरों के समूह का मुखिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि इस मुद्दे पर टीसीपी में चर्चा की गई थी लेकिन एसटीआर की टीसीपी में उपरोक्त जनजातियों के उत्थान के लिए कोई बजट प्रस्तावित नहीं किया गया था। यद्यपि, बावरिया समुदाय के कौशल विकास के लिए ₹ 16.50 लाख स्वीकृत किए गए (2016-23), विभाग ने ₹ 7.97 लाख का व्यय किया।

निष्कर्ष

बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों से गांवों को विस्थापित करने और संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने में कमियां थीं। आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 108 नियोजित गांवों के विस्थापन में से, मार्च 2023 तक केवल 15 को पूरी तरह से और 17 को आंशिक रूप से विस्थापित किया गया था। संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान 112 परिवारों में से 51 परिवारों ने पुनर्वास पैकेज पर असंतोष व्यक्त किया। विस्थापन की इस धीमी गति के परिणामस्वरूप आवंटित धन का कम उपयोग हुआ। अधूरे विस्थापन के कारण अभयारण्य के भीतर अनियंत्रित मवेशी चराई और वन्यजीवों द्वारा फसल की क्षति जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं।

अनुशंसाएं

सरकार/विभाग निम्नलिखित पर विचार कर सकता है:

- *पुनर्वास पैकेज की समीक्षा कर इसे अधिक आकर्षक बनाया जाए ताकि ग्रामीणों के बीच पुनर्वास के लिए इसकी स्वीकार्यता बढ़ाई जा सके; और*
- *निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक अभियान के रूप में विस्थापन कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक समर्पित प्रप्रकोष्ठ की स्थापना करना।*